

इंद्रा मालो, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

अ.शा. सं. सीडब्ल्यू-॥-22/6/2022-सीडब्ल्यू-॥ (ई-99580)

5 जुलाई, 2022

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए वर्ष 2009-10 से एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "मिशन वात्सल्य" पूर्वकालीन बाल संरक्षण सेवाएं (सीपीएस) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। मैं स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय मानदंड सूचित करने वाले मिशन वात्सल्य स्कीम के इन दिशानिर्देशों को साझा करती हूं। मिशन वात्सल्य के मानदंड 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

3. अतएव, मैं आपसे दिशानिर्देशों के वित्तीय मानदंडों के आधार पर मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय प्रस्ताव और योजनाएं तैयार करने का अनुरोध करती हूं। मिशन वात्सल्य स्कीम के विस्तृत दस्तावेज/मानदंड मंत्रालय की वेबसाइट यानी wcd.nic.in पर भी उपलब्ध होंगे।

सादर,

भवदीया,
हस्ता./-
(इंद्रा मालो)

सेवा में,

सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मिशन वात्सल्य

सावधानता संरक्षणम्

कार्यान्वयन दिशानिर्देश



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	1-3
1.1	विजन	1
1.2	मिशन	2
1.3	उद्देश्य	3
2.	कार्यान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा	4-20
2.1	केंद्रीय स्तर पर ढांचा	4
2.2	निधि प्रवाह प्रबंधन	5
2.3	राज्य स्तर पर निगरानी और समीक्षा	5
2.4	राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी	6
2.5	राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी	9
2.6	राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति	10
2.7	जिला मजिस्ट्रेट और जिला बाल संरक्षण इकाई	11
2.8	जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति	15
2.9	किशोर न्याय बोर्ड	16
2.10	बाल कल्याण समिति	17
2.11	विशेष किशोर पुलिस इकाई	18
2.12	बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति	18
2.13	मिशन वात्सल्य पोर्टल	19
2.14	बाल हेल्पलाइन	20
3.	संस्थागत सेवाएं	21-27
3.1	बाल देखभाल संस्थान	21
3.2	स्वच्छता कार्य योजना	26
4.	गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं	28-36
4.1	प्रायोजन	28
4.2	पालक देखभाल	31
4.3	पश्चात देखभाल	35
5.	अभिसरण	37-41
5.1	अभिसरण कार्यनीति	37
5.2	हितधारकों का क्षमता निर्माण	41
6.	अन्य पहलें	42-43
	अनुलग्नक	44-74
	अनुलग्नक – I [सीपीएमयू को वित्तीय सहयोग]	46
	अनुलग्नक – II [राज्य अनुलग्नक]	47-55
	अनुलग्नक – III [जिला अनुलग्नक]	56-66
	अनुलग्नक – VI [सीसीआई का अनुलग्नक]	67-74

संक्षिप्त अक्षर

एएनएम	– सहायक नर्स मिडवाइफ
आशा	– प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
सीसीआई	– बाल देखभाल संस्थान
सीसीएल	– कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सीएनसीपी	– देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सीपीएमयू	– केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई
सीडब्ल्यूसी	– बाल कल्याण समिति
सीडब्ल्यूओ	– बाल कल्याण अधिकारी
सीडब्ल्यूपीसी	– बाल कल्याण एवं संरक्षण अधिकारी
सीडब्ल्यूपीओ	– बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डीसीपीयू	– जिला बाल संरक्षण इकाई
डीसीपीओ	– जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जेजेबी	– किशोर न्याय बोर्ड
जेजे एक्ट	– किशोर न्याय अधिनियम
जेजे रूल्स	– किशोर न्याय नियम
एलसीपीओ	– विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी
एनजीओ	– गैर-सरकारी संगठन
पीएबी	– परियोजना अनुमोदन बोर्ड
पीएफएमएस	– लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीओ	– परिवीक्षा अधिकारी
पीओआईसी	– संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखभाल)
पीओएनआईसी	– संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)
पॉक्सो	– यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण
पीआरआई	– पंचायती राज संस्थान
एसएए	– विशिष्ट दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी
एसएआरए	– राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी
एससीपीएस	– राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
एसएफसीएसी	– प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति
एसजेपीयू	– विशेष किशोर पुलिस इकाई
एसएनए	– एकल नोडल एजेंसी
एसओपी	– मानक प्रचालन प्रक्रिया
यूएलबी	– शहरी स्थानीय निकाय

1. प्रस्तावना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय के साथ कानून, नीति और योजनाबद्ध पहलों के माध्यम से इसे पूरा करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बाल नीति, (2013 में संशोधित), और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 ने बाल कल्याण और सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचा निर्धारित किया। भारतीय संसद ने बच्चों के हित में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए हैं। भारत ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों अर्थात्, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और बच्चों के दत्तकग्रहण पर हेग सम्मेलन पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो देश में किशोर न्याय प्रणाली के प्रणालीगत विकास और सुदृढ़ीकरण का अधिदेश देता है।

मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरक्षित विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को हासिल करने का एक मार्गचित्र है। यह 'कोई बच्चा पीछे न छूटे' के लक्ष्य के साथ किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही बाल अधिकारों, पैरवी और जागरूकता पर जोर देता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 मिशन के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा है।

2009-10 से पूर्व, मंत्रालय के तहत तीन स्कीमों में कार्यान्वित की जा रही थीं, अर्थात्,

- i) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम;
- ii) बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; तथा
- iii) बच्चों के लिए आवास सहायता स्कीम (शिशु गृह)।

तीनों स्कीमों को एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम में शामिल किया गया था। आईसीपीएस को मंत्रालय द्वारा 2009-2010 से कार्यान्वित किया गया। 2017 में इस स्कीम का नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा" स्कीम किया गया। सीपीएस स्कीम को 2021-22 से अब मिशन वात्सल्य के तहत समाहित किया गया है।

1.1 विजन

भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए सक्षम बनाने के अवसर सुनिश्चित करना और सभी प्रकार से, निरंतर तरीके से फलने-फूलने में उनकी सहायता करना। मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थानीकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

1.2 मिशन

बच्चों के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना क्योंकि वे अपनी प्रगति की विभिन्न आयु और चरणों से गुजरते हैं। देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और संरक्षण समितियों और वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए ऐसा करने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं द्वारा समाधान किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजट के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और सुरक्षा के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां समुदाय में एक सुदृढ़ बाल अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए पैरवी, जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण और निवारक उपायों के संदर्भ में वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं की पूरक होंगी।

मिशन का लक्ष्य है:

- i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों का सहयोग करना और जारी रखना;
- ii) विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना;
- iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने की गुंजाइश प्रदान करना;
- iv) अभिसरण कार्यवाई को सुदृढ़ करना।

1.3 उद्देश्य

मिशन वात्सल्य के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- i) मिशन के तहत की गई सभी गतिविधियों और कार्यों के दौरान बच्चे को केंद्र में रखते हुए प्रशासन की स्कीम में बच्चों को प्राथमिकता देना।
- ii) परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार या वितरित करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित और परिवारों का समर्थन करने के लिए सशक्त सामाजिक सुरक्षा संजाल सहित खुशहाल पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्यवाई करना।
- iii) बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- iv) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक सेवाएं स्थापित करना और आपातकालीन पहुंच, परिवार और समुदाय के भीतर गैर-संस्थागत देखभाल, और संस्थागत देखभाल परामर्श और सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- v) सभी स्तरों पर उपयुक्त अंतर-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, बच्चों को निर्बाध सेवा वितरण के लिए अभिसरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों के साथ समन्वय और नेटवर्क बनाना।
- vi) परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण को सशक्त बनाना, परिवारों और समुदायों को बच्चों को प्रभावित करने वाले जोखिमों और कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम बनाना, बच्चों को भेद्यता, जोखिम और दुर्व्यवहार की स्थितियों से बचाने के लिए निवारक उपायों का सृजन करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- vii) कानून के ढांचे के भीतर बच्चों को सहयोग करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और पहलों को प्रोत्साहित करना।

- viii) बाल अधिकारों, कमजोरियों और सरकार द्वारा प्रायोजित सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समुदाय को हितधारक के रूप में शामिल करना।
- ix) सभी स्तरों पर ड्यूटीधारकों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।
- x) अच्छी तरह परिभाषित आउटपुट और परिणामों के प्रति उद्देश्य मानकों पर प्रगति की निगरानी करना, और
- xi) ध्यान देने योग्य मुद्दों के निरंतर मूल्यांकन, उचित पहलों के कार्यान्वयन, बच्चों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा संजाल विकसित करने के लिए नियमित निगरानी हेतु ग्राम स्तर पर और शहरी नगरपालिका वार्ड के भीतर वार्ड और शहरी क्लस्टर स्तर पर पंचायतों और नगरपालिका स्थानीय निकायों की भागीदारी।

मिशन वात्सल्य को केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

2. कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा

मिशन वात्सल्य स्कीम एक सशक्त कार्यान्वयन ढांचे के पोषण के लिए परिभाषित संस्थागत व्यवस्था की परिकल्पना करती है जिसकी केंद्र, राज्य और जिले द्वारा विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाएगी।

2.1 केंद्रीय स्तर पर ढांचा

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की अध्यक्षता के तहत मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) स्कीम के तहत अनुदान जारी करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्यान्वयन योजनाओं के साथ ही निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए अपने वित्तीय प्रस्ताव जांच के लिए प्रस्तुत करेंगे। वे इसे मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय/आमंत्रित लोगों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

मिशन वात्सल्य केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता प्रदान करेगी। सीपीएमयू मंत्रालय में राज्य सरकारों के साथ समन्वय और निगरानी करेगा। यह दिल्ली में स्थित होगा और मिशन निदेशक के रूप में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय के रूप में कार्य करेगा।

मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्यगण	पदनाम
1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
3.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग	सदस्य
11.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (बाल कल्याण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा	सदस्य
14.	निदेशक, निपसिड	सदस्य
15.	अन्य किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय	सह-योजित सदस्य

सदस्य या उनके नामित प्रतिनिधि पीएबी की बैठकों में उपस्थित हो सकते हैं।

2.2 निधि प्रवाह प्रबंधन

यह स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी में केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाएगी ताकि पूरे देश में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग किया जा सके। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निधि हिस्सेदारी पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्य और विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के अनुपात में होगा।

उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और दो हिमालयी राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए, केंद्र और राज्य का अंश 90:10 होगा। विधानसभा विहीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यह 100% होगा।

इस स्कीम के तहत लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निधियां जारी की जाएंगी। राज्य का संबंधित अंश यथाशीघ्र और केंद्रीय अंश जारी होने के 40 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। राज्य एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा मिशन वात्सल्य के एकल नोडल खाते में निधि का रखरखाव किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निधियां जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में जारी दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी किसी भी अन्य दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

अनिवार्य शर्त: स्कीम के तहत किसी भी उप-स्कीम/घटक का लाभ उठाने के लिए, स्कीम की विभिन्न उप-स्कीमों/घटकों के तहत निर्धारित शर्तों के अलावा, राज्य को सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) (स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है) आधिकारिक नाम और इस स्कीम की ब्रांडिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

2.3 राज्य स्तरीय निगरानी और समीक्षा

स्कीम के कार्यान्वयन में अभिसरण की निगरानी, समीक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होगी। समिति की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। अध्यक्ष समिति में किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय/विभागों को शामिल कर सकते हैं। समिति के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

क्र.सं.	सदस्यगण	पदनाम
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य सचिव
5.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग	सदस्य

7.	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, युवा मामले और खेल	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव, कौशल विकास	सदस्य
12.	प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
13.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
14.	अन्य किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय/विभाग	सह-योजित सदस्य

कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था में निम्नानुसार वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाएं शामिल होंगी-

- I. सांविधिक व्यवस्था- (i) राज्य स्तरीय सांविधिक व्यवस्था जिसमें राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी शामिल हैं; (ii) जिला स्तरीय सांविधिक व्यवस्था जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां शामिल हैं।
- II. सेवा वितरण संरचनाएं- (i) राज्य स्तरीय निगरानी समिति (ii) राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति, (iii) जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति, (iv) बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय/महिलाओं और बच्चों पर पंचायती राज संस्थाएं/ शहरी स्थानीय निकाय समितियां।

2.4 राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) मिशन वात्सल्य स्कीम का मैपिंग, नियोजन सहित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। एससीपीएस राज्य में बाल कल्याण और संरक्षण के लिए कानूनों, नीतियों और स्कीमों जैसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सीपीसीआर अधिनियम) के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम; हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) 1956; अभिभावक और पाल्य अधिनियम (जीएडब्ल्यूए) 1890; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986; और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986; गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम 1994, और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए लागू होने वाले किसी अन्य अधिनियम, नियम, विनियम और नीति का समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति की सहायता करेगी।

एससीपीएस राज्य मुख्यालय में स्थित होगी और राज्य मिशन निदेशालय के रूप में कार्य करेगी। राज्य मिशन निदेशक के रूप में मिशन वात्सल्य को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के महिला

एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा एससीपीएस की अध्यक्षता की जाएगी। आयुक्त/निदेशक महिला एवं बाल विकास एससीपीएस के सदस्य सचिव होंगे, जो स्कीम के कार्यान्वयन में मिशन निदेशक की सहायता करेंगे।

(क) एससीपीएस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

- 1) राज्य में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के तहत एजेंसियों और संस्थानों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना;
- 2) राज्य भर में मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन करना।
- 3) राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करना।
- 4) बच्चों बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संबंध में प्राप्त अवरोधों, मुद्दों, शिकायतों का समाधान करना;
- 5) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम और नियमों के तहत स्थापित सभी संस्थान मौजूद हैं और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं;
- 6) जिलों के सहयोग से राज्य में आवश्यकता मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
- 7) मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन के लिए जिलों द्वारा आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर राज्य वार्षिक कार्य योजना, उपलब्ध बाल भेद्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना और मिशन वात्सल्य राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति के विचार हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- 8) स्कीम के तहत सहायता अनुदान जारी करने की मांग करते समय उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय का विवरण, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, और कोई अन्य आवश्यक जानकारी जमा करना।
- 9) निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायतों/सुझावों का विवरण, और स्वास्थ्य जांच, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (दर्ज किए और निपटाए गए मामले) की अनुवर्ती कार्यवाई, देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (बहाल/पुनर्वास किए गए) की अनुवर्ती कार्यवाई, तिमाही आधार पर अच्छे अभ्यास और सफलता की कहानियां उपलब्ध कराना।
- 10) विभिन्न जिलों में संस्थानों के कामकाज पर विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो वहां बच्चों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यवाई करना और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के कामकाज की निगरानी करना;
- 11) सभी बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना और मिशन वात्सल्य पोर्टल पर उनका विवरण अपलोड करना जिसमें किशोर न्याय प्रणाली के संपर्क में आने वाले बच्चों और मिशन वात्सल्य पोर्टल पर समर्थित बच्चों का विवरण शामिल है।
- 12) पालक देखभाल, प्रायोजन और बाद की देखभाल के कार्यक्रम तैयार करना;
- 13) बाल देखभाल संस्थानों में और अन्य संस्थागत देखभाल के तहत मृत्यु या आत्महत्या के मामलों में जांच करना, रिपोर्ट प्राप्त करना और सिफारिशें करना;
- 14) राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधित विभागों और अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य बाल संरक्षण समितियों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय और संपर्क सुनिश्चित करना;
- 15) अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यरत नागरिक समाज संगठनों के साथ नेटवर्किंग और समन्वय करना;
- 16) संस्थागत देखभाल और परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल में सभी बच्चों का राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाए रखना और तिमाही आधार पर उसे अद्यतन करना;
- 17) यह सुनिश्चित करना कि सीसीआई द्वारा प्रत्येक बच्चे के दस्तावेज जैसे सभी बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य जांच कार्ड आदि उपलब्ध कराए जाएं।

- 18) संवेदनशील परिस्थितियों और आपदाग्रस्त बच्चों के लिए समर्थन, पैरवी और मानसिक स्वास्थ्य पहल (संवाद) और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) के समन्वय से बच्चों के मानसिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर परामर्श क्षमता के साथ ही संसाधन व्यक्तियों में वृद्धि करना।
- 19) राज्य स्तर पर बाल देखभाल संस्थानों, विशेष दत्तकग्रहण एजेंसियों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पालक माता-पिताओं, प्रायोजकों, देखभाल संगठनों और अन्य संस्थानों का डेटाबेस बनाए रखना;
- 20) राज्य स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशामुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, शिक्षता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, मनोरंजन सुविधाओं जैसे प्रदर्शन कला, ललित कला और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सुविधाएं और ऐसी अन्य सुविधाओं का एक डेटाबेस बनाए रखना;
- 21) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किशोर न्याय कोष की निगरानी और प्रबंधन करना, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और पुलिस स्टेशनों, जैसा भी मामला हो, को धन का वितरण शामिल है;
- 22) राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त सभी निधियों जैसे किशोर न्याय निधि, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के तहत निधियों के लिए अलग खाते बनाए रखना और उनकी लेखापरीक्षा कराना;
- 23) अधिनियम के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से मौजूदा संस्थागत ढांचे के तहत बनाए गए नियमों, पुनर्वास उपायों, दंडों, बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना;
- 24) हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;
- 25) बाल संरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाना;
- 26) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि विद्यालयों के साथ समन्वय करना; तथा
- 27) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य कार्य।

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी में निम्नलिखित संविदा कर्मचारी शामिल होंगे:

- i) कार्यक्रम प्रबंधक (20 जिलों वाले राज्यों में एक कार्यक्रम प्रबंधक और 20 से अधिक जिलों वाले राज्यों में दो कार्यक्रम प्रबंधक)
- ii) कार्यक्रम अधिकारी (20 जिलों वाले राज्यों में दो कार्यक्रम अधिकारी और 20 से अधिक जिलों वाले राज्यों में चार कार्यक्रम अधिकारी हो सकते हैं)।

(ख) एससीपीएस में राज्य मिशन निदेशक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- i) राज्य के सभी जिलों में मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन और संबंधित निधि संवितरण और मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण से संबंधित सभी प्रशासनिक निर्णय लेना।
- ii) स्कीम के तहत अपेक्षित जनशक्ति की तैनाती सुनिश्चित करना।
- iii) सभी ड्यूटीधारकों और हितधारकों के क्षमता निर्माण की योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना।
- iv) मिशन के विभिन्न कार्यक्रम घटकों के तहत जिलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों/परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन करना।

- v) राज्य और राज्य के सभी जिलों में सभी सांविधिक और सेवा वितरण संरचनाओं की स्थापना सुनिश्चित करना।
 - vi) जिला/शहर/ब्लॉक/वार्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय/महिला एवं बाल कल्याण के मुद्दों की देखभाल करने वाली समिति को बाल कल्याण और सुरक्षा उपायों के कार्य सौंपते हुए सभी पीआरआई और यूएलबी द्वारा अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करना।
 - vii) मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित में सभी सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के सहयोग से बच्चों के कल्याण और विकास की योजना बनाना और अभिसरण कार्यवाई के माध्यम से योजना को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना।
 - viii) राज्य में बच्चों की बहाली, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाने को सुविधाजनक बनाना।
 - ix) यह सुनिश्चित करना कि मिशन वात्सल्य के तहत समर्थित बच्चे 18 वर्ष की आयु के बाद पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनें, और उनकी उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रवृत्ति या ऋण की व्यवस्था करना।
 - x) बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए और आयकर छूट प्रयोजन से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इस खाते में दिए गए किसी दान वाले किशोर न्याय कोष का रखरखाव और प्रबंधन करना।
 - xi) बच्चों के लिए संसाधन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का समर्थन हासिल करना।
 - xii) राज्य मिशन निदेशक इस स्कीम के प्रयोजन के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
- 1) एससीपीएस के ड्यूटीधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-क** में दी गई हैं।
 - 2) एससीपीएस के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता सहित चयन प्रक्रिया **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-ग और भाग-घ** में दी गई है।

2.5 राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा)

देश में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करने में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को सहयोग करने के लिए, मिशन वात्सल्य में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा) को सहयोग करने का प्रावधान है। सारा राज्य में गोद लेने सहित गैर-संस्थागत देखभाल से संबंधित कार्यों का समन्वय, निगरानी और विकास करेगा। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जिन्हें राज्य मिशन निदेशक के रूप में मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन करने के लिए चिन्हित किया गया है, सारा की अध्यक्षता करेंगे। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक/आयुक्त मिशन निदेशक की सहायता करेंगे।

(क) सारा की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

सारा की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत समय-समय पर जारी दत्तकग्रहण नियमों में निर्दिष्ट कार्य शामिल होंगे। सारा के अन्य ड्यूटीधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-ख** में दी गई हैं और सारा के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता सहित चयन प्रक्रिया **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-ग और भाग-घ** में दी गई है।

सारा में निम्नलिखित संविदात्मक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं:

- i) एक कार्यक्रम प्रबंधक
- ii) एक कार्यक्रम अधिकारी
- iii) एक कार्यक्रम सहायक

एससीपीएस और सारा के लिए अवसंरचना

एससीपीएस और सारा को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। एससीपीएस और सारा राज्य में बाल संरक्षण/कल्याण के मुद्दों पर कार्यरत राज्य के विभाग के परिसर से कार्य कर सकते हैं। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एससीपीएस या सारा के लिए स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो वे किराए के भवन से कार्य कर सकते हैं। नई अवसंरचना के निर्माण के बजाय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एससीपीएस की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-ड** में और सारा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **राज्य अनुलग्नक-II, भाग-च** में दी गई है।

2.6 राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) की मदद से मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति होगी। यह समिति राज्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव सहित वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। यह समिति मिशन वात्सल्य के विभिन्न घटकों के तहत संरचनाओं, सेवाओं और प्रगति के कामकाज की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करेगी और स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें करेगी। राज्य समिति बाल अधिकारों और बाल कल्याण पर सभी हितधारकों की पैरवी, जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करेगी और राज्य में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संबंध में प्राप्त अवरोधों, मुद्दों, शिकायतों का समाधान करेगी। राज्य समिति अभिसरण के लिए विशेष प्रयास करेगी ताकि बच्चों के लिए सभी संभव सरकारी कल्याण स्कीमों के तहत लाभ सुनिश्चित किया जा सके। राज्य समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी संस्थान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के तहत स्थापित किए गए हैं। समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अध्यक्ष किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ/ सांविधिक निकाय/ आमंत्रित/विभागों को आमंत्रित कर सकते हैं। समिति की संरचना इस प्रकार होगी-

क्र. सं.	सदस्यगण	पदनाम
1.	प्रधान सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग	सदस्य

6.	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, युवा मामले और खेल	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, कौशल विकास	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य विभाग	सदस्य
12.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
13.	आयुक्त/निदेशक, महिला एवं बाल विकास	सदस्य सचिव
14.	अन्य किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय/विभाग	सह-योजित सदस्य

राज्य समिति एससीपीएस की सहायता से बच्चों के बेहतर संरक्षण के लिए पुनर्वास और प्रक्रियाओं के लिए मिशन के विभिन्न पहलुओं पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक मीडिया और संचार योजना भी तैयार कर सकती है। राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति, प्रशासनिक अपेक्षाओं का समाधान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर ब्लॉकों की संख्या, कार्य भार और अंतर-जिला स्थानान्तरण के अनुसार संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में मौजूदा जनशक्ति को युक्तिसंगत बना सकती है। राज्य जिलों के भीतर कार्यभार/ब्लॉकों की संख्या के अनुसार प्रति डीसीपीयू जनशक्ति वितरण को युक्तिसंगत बना सकते हैं।

2.7 जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला बाल संरक्षण इकाई

जिले में मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की होगी। जिला बाल संरक्षण इकाई जिले में सेवा प्रदायगी और बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करेगी। जिला मजिस्ट्रेट जिले में बाल कल्याण, बाल अधिकार और बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; और सभी कानून, नियम और विनियम, अर्थात् यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006; हिंदू दत्तकग्रहण और भरणपोषण अधिनियम (एचएएमए) 1956; अभिभावक और पाल्य अधिनियम (जीएडब्ल्यूए) 1890; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986; गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, आदि और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा।

(क) डीसीपीयू की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

- 1) डीसीपीयू समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमों के तहत दिए गए कामकाज का निर्वहन करेगी।
- 2) डीसीपीयू सभी बाल संरक्षण कानूनों, स्कीमों को कार्यान्वित और मिशन में निर्धारित बाल संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी।

- 3) जिला स्तर पर सभी बाल अधिकारों और संरक्षण गतिविधियों का समन्वय और कार्यान्वयन।
- 4) जिला स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करना और सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- 5) प्रभावी नेटवर्किंग और ब्लॉक/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तरीय बाल कल्याण और संरक्षण समितियों, पोषण 2.0 कार्यकर्ताओं, विशेष दत्तकग्रहण एजेंसियों (एसएए), बाल संरक्षण मुद्दों से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों के साथ संपर्क के माध्यम से जोखिम वाले परिवारों और देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान करना।
- 6) कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के संदर्भ में जिले की स्थानीय भेद्यता की मैपिंग करना, उचित कार्यवाई करने के लिए प्रवृत्तियों और पैटर्न का विश्लेषण और निगरानी करना।
- 7) बच्चों से संबंधित सेवा प्रदाताओं और बच्चों के लिए सुविधाओं के संदर्भ में जिले की संसाधन मैपिंग करना।
- 8) मिशन वात्सल्य के कार्यक्रम घटकों को लागू करने के लिए विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की पहचान और सत्यापन करना और जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अनुशंसा करना।
- 9) परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना, जिसमें प्रायोजन, पालक देखभाल और बाद की देखभाल और दत्तकग्रहण विनियमों में परिभाषित सभी दत्तक मामले शामिल हैं।
- 10) यह सुनिश्चित करना कि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना हो और योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- 11) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही इसके कामकाज के निर्वहन के लिए बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन सुनिश्चित करना।
- 12) जिले में बच्चों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं/एजेंसियों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
- 13) देश में गोद लेने के प्रायोजन, पालक देखभाल, अंतर-देशीय गोद लेने और संस्थानों में नियोजन के माध्यम से बच्चों को उनके परिवारों में बहाली के लिए या बच्चे को दीर्घकालिक या अल्पकालिक पुनर्वास में रखने के लिए सभी स्तरों पर स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- 14) बच्चों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली के तहत काम करने वाले सभी कर्मियों (सरकारी और गैर-सरकारी) को प्रशिक्षित करना और क्षमता निर्माण करना।
- 15) जिला, ब्लॉक और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- 16) अन्य विभागों (मिशन वात्सल्य के तहत अभिसरण मैट्रिक्स में वर्णित सहित), सिविल सोसाइटी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ अभिसरण को सुगम बनाना और बाल संरक्षण के मुद्दों पर अंतर-क्षेत्रीय संपर्क का निर्माण किया जाना और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र/राज्य/किसी अन्य स्कीम के तहत बच्चों को लाभ सुनिश्चित करना।
- 17) बच्चों को प्रभावित करने वाली प्रासंगिक समस्याओं और संभावित समाधानों का विश्लेषण करने के लिए जिला स्तर पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियां करना।
- 18) जिले में मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन करना।
- 19) बच्चों की बहाली और पुनर्वास और सहकर्मि शिक्षण के लिए अन्य डीसीपीयू और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य बाल संरक्षण समितियों के साथ संपर्क करना।
- 20) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई/निर्धारित सूचना और आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अद्यतन मासिक रिपोर्ट अपलोड करना।

- 21) जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर सभी हितधारकों के साथ मासिक बैठक आयोजित करना।
- 22) मिशन वात्सल्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कोई अन्य गतिविधि।

(ख) डीसीपीयू में ड्यूटीधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

1) जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)

- i) जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमों के तहत दिए गए कामकाज का निर्वहन करेंगे।
- ii) जिलाधिकारी जिले में इस स्कीम को समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे।
- iii) जिला मजिस्ट्रेट वार्षिक आधार पर जिले में बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के संदर्भ में आवश्यकता और संसाधन मानचित्रण अभ्यास सुनिश्चित करेंगे।
- iv) जिले में बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी के लिए जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति के सभी सदस्यों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से जिला वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
- v) बच्चों की बहाली, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए राज्य सरकार, अन्य जिलों और एजेंसियों के साथ जुड़ना।
- vi) अभिसरण नियोजन और कार्यवाई द्वारा बच्चों तक लाभ सुनिश्चित करने के विशेष प्रयासों सहित सरकार की अन्य मौजूदा स्कीमों के तहत बच्चे को लाभ और अधिकार सुरक्षित करना।
- vii) बाल देखभाल संस्थानों का औचक निरीक्षण करना।
- viii) उनके लिए पूरक शिक्षा, करियर परामर्श सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के संदर्भ में उचित समय पर बाद की देखभाल को सुगम बनाना।
- ix) इन बच्चों की उच्च शिक्षा का प्रायोजन करने, छात्रवृत्ति को संस्थागत बनाने, पढ़ाई के लिए ऋण को सुविधाजनक बनाने आदि के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करना।
- x) जिले में बच्चों से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर डीसीपीयू, सीडीपीओ, पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डीएलएसए और अन्य हितधारकों के साथ मासिक बैठक में चर्चा करना:
 - क) बच्चों की जरूरतें और संसाधनों की उपलब्धता
 - ख) स्वास्थ्य शिक्षा सहित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं
 - ग) बच्चों के प्रति अपराध और हिंसा का पैटर्न और बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए की गई कार्यवाई
 - घ) बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थानों की उपलब्धता और गुणवत्ता
 - ङ) प्रायोजन और पालक पोषण की स्थिति और बाद की देखभाल की व्यवस्था
 - च) सीसीआई और जिले में लापता, गुम, भागे हुए या मृत बच्चों के संबंध में रिपोर्ट
 - छ) बच्चों की बहाली के लिए समन्वय व्यवस्था
 - ज) बच्चों के संबंध में आवश्यक समझा जाने वाला कोई अन्य मामला

- xi) बाल देखभाल संस्थानों, पुलिस थानों और बच्चों की अधिक आबादी वाले अन्य स्थानों में सुझाव पेटी लगाना सुनिश्चित करना और बच्चों द्वारा दी गई शिकायतों और सुझावों को देखना और उचित कार्यवाई करना।
- xii) दत्तकग्रहण विनियमों में यथा परिभाषित दत्तकग्रहण संबंधी मामले।
- xiii) जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम के प्रयोजन के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

2) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) डीसीपीयू के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और जिला स्तर पर डीसीपीयू के दिन-प्रतिदिन के सभी कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा। डीसीपीओ अधिमानतः सरकार से प्रतिनियुक्ति पर या अनुबंध आधार पर नियुक्त एक राजपत्रित अधिकारी होगा। जिन जिलों में मिशन वात्सल्य कार्यान्वयन विभाग (समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास) का जिला स्तरीय अधिकारी उपलब्ध है, वह डीसीपीओ के रूप में कार्य करेगा। डीसीपीओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) डीसीपीओ गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रम के समन्वय और सभी संस्थानों/एजेंसियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी और पर्यवेक्षण सहित जिला स्तर पर मिशन और अन्य सभी बाल संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।
- ii) डीसीपीओ जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा और जिला वार्षिक बाल संरक्षण योजना के विकास में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा।
- iii) डीसीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर न्याय के संपर्क में आने वाले प्रत्येक बच्चे का विवरण केंद्रीय रूप से अनुरक्षित वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- iv) डीसीपीओ निम्नलिखित सहित सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा:
 - क) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 - ख) पुलिस अधीक्षक,
 - ग) श्रम अधिकारी, शिक्षा अधिकारी,
 - घ) जिला चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन,
 - ङ) पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों,
 - च) बाल विकास परियोजना अधिकारी (डीसीपीओ),
 - छ) स्वैच्छिक संगठनों,
 - ज) अस्पतालों/नर्सिंग होमों,
 - झ) बाल कल्याण समिति,
 - ञ) किशोर न्याय बोर्ड,
 - ट) जिला स्तर पर अन्य प्राधिकरण/संगठन/व्यक्ति आदि जिनका बाल संरक्षण कार्यक्रमों/सेवाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- v) डीसीपीओ जिले के प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा और सीसीआई का फील्ड दौरा करेगा।
- vi) मिशन के तहत एससीपीएस से प्राप्त अनुदान के इष्टतम उपयोग का प्रबंधन करेगा।
- vii) वह पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर बैठक की नियमित रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाई सुनिश्चित करेगा और उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।
- viii) वह समुदाय और स्थानीय निकायों के साथ ही मीडिया के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।

- ix) मिशन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
- 3) डीसीपीयू के अन्य ड्यूटीधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां **जिला अनुलग्नक-III, भाग-क** में दी गई हैं।
- 4) डीसीपीयू के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता सहित चयन प्रक्रिया **जिला अनुलग्नक-III, भाग-ख और भाग-ग** में दी गई है।

जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए अवसंरचना

डीसीपीयू को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। डीसीपीयू जिला स्तर पर संबंधित विभाग के परिसर से कार्य कर सकते हैं। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या जिला प्रशासन डीसीपीयू के लिए जगह उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो यह किराए के भवन से कार्य कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करने के प्रयास किए जा सकते हैं। डीसीपीयू की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-घ** में दी गई है।

2.8 जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति

जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की अध्यक्षता करेंगे। यह मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला मजिस्ट्रेट समिति की तिमाही समीक्षा बैठकें करेंगे। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

क्र.सं.	सदस्यगण	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/ग्रामीण विकास अधिकारी	सदस्य
6.	जिला/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
7.	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
8.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	जिला खेल अधिकारी	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (आईटीडीपी)	सदस्य
12.	जिला कौशल विकास अधिकारी	सदस्य
13.	जिला नियोजन अधिकारी	सदस्य
14.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.)/जिला समाज कल्याण अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्यालय	सदस्य सचिव
15.	अन्य किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ/सांविधिक निकाय/विभाग	सह-योजित सदस्य

जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति को गतिविधियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ ही स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया हेतु तैयार जिला विशिष्ट

संकेतकों के आधार पर, जिला स्तर पर मिशन वात्सल्य के समग्र कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाएगी। डीसीपीयू की सहायता से समिति जिलों में संसाधन निर्देशिका बनाने और समितियों और बोर्डों को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराने, कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की संख्या का आकलन करने और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के रुझान और पैटर्न की निगरानी के लिए जिला विशिष्ट डेटाबेस तैयार करने के लिए सभी बाल संबंधित सेवाओं की आवधिक और नियमित मैपिंग करेगी। समिति जिला स्तर पर प्रायोजन, पालक देखभाल और पश्चात देखभाल सहित गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को भी सुविधाजनक बनाएगी। पुनर्वास के लिए मिशन के विभिन्न पहलुओं और बच्चों के बेहतर संरक्षण की प्रक्रियाओं पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समिति डीसीपीयू की मदद से एक मीडिया और संचार योजना भी तैयार कर सकती है। सरकारी कल्याण स्कीमों का लाभ जिले के बच्चों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए यह अन्य सरकारी विभागों के साथ अभिसरण की दिशा में विशेष प्रयास करेगा।

2.9 किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) स्थापित करने का अधिदेश देता है। जेजेबी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार होगा। मिशन वात्सल्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हर जिले में जेजेबी की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। किशोर न्याय बोर्ड समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। जेजेबी एक पर्यवेक्षण गृह के परिसर में अपनी बैठक करेगा। स्कीम के तहत बोर्ड के दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता या मानदेय का सहयोग दिया जाएगा।

स्कीम में प्रत्येक जेजेबी में दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए एक सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदान किया जाएगा। सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की सांकेतिक योग्यता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-ड** में दी गई है।

जेजेबी का स्थान:

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रावधान के अनुसार, जेजेबी एक पर्यवेक्षण गृह के परिसर में अपनी बैठकें आयोजित करेगा।

जेजेबी के लिए अवसंरचना:

निर्मित किए पर्यवेक्षण गृह में जेजेबी के लिए 300 वर्ग फीट प्रत्येक के दो कमरे होंगे। जिन मौजूदा पर्यवेक्षण गृह में परिसर के भीतर आवश्यक स्थान उपलब्ध है, उसे बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, जिन जिलों में कोई पर्यवेक्षण गृह नहीं है या मौजूदा पर्यवेक्षण गृह में जेजेबी के लिए स्थान नहीं है, वहां मिशन के तहत जेजेबी के लिए उपयुक्त परिसर बनाने या किराए पर लेने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बोर्ड अपनी बैठक एक कमरे में करेगा जबकि दूसरे कमरे को बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बोर्ड परिसर में स्वागत का माहौल होना चाहिए।

समिति कक्ष जहां बोर्ड की बैठकें होती हैं, वहां बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतीक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाओं के साथ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

जिस पर्यवेक्षण गृह में जेजेबी अपनी कार्यवाही करता है, बैठक आयोजित किए जाने वाले दिनों में जेजेबी को काउंसलर और चपरासी की सहायता प्रदान की जाएगी। आवश्यक होने पर, डीसीपीयू कानूनी और परामर्श सहायता भी प्रदान करेगा। जेजेबी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-च** में दी गई है।

2.10 बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटाने और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के अनुसार होगा। मिशन वास्तव्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बाल कल्याण समिति समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निर्वहन करेगी। स्कीम के तहत अध्यक्ष एवं समिति के चार सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता या मानदेय का सहयोग दिया जाएगा।

स्कीम में दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए प्रत्येक जेजेबी में एक सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदान किया जाएगा। सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की सांकेतिक योग्यता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-ड** में दी गई है।

सीडब्ल्यूसी का स्थान

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रावधान के अनुसार, बाल कल्याण समिति बाल गृह के परिसर में अपनी बैठकें करेगी।

सीडब्ल्यूसी के लिए अवसंरचना

निर्मित किए जा रहे बाल गृह में सीडब्ल्यूसी के लिए 300 वर्ग फीट प्रत्येक के दो कमरे होंगे। जिन मौजूदा बाल गृहों में परिसर के भीतर आवश्यक स्थान उपलब्ध है, उसे समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, जिन जिलों में बाल गृह नहीं है या मौजूदा बाल गृह में सीडब्ल्यूसी के लिए कोई स्थान नहीं है, मिशन के तहत सीडब्ल्यूसी के लिए उपयुक्त परिसर के निर्माण या किराए पर लेने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

समिति अपनी बैठक एक कमरे में करेगी जबकि दूसरा कमरा बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी परिसर में स्वागत का माहौल होना चाहिए। समिति कक्ष जहां सीडब्ल्यूसी की बैठकें होती हैं, वहां बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतीक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाओं के साथ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

जिस बाल गृह में सीडब्ल्यूसी अपनी कार्यवाही करती है, बैठक आयोजित किए जाने वाले दिनों में सीडब्ल्यूसी को काउंसलर और चपरासी की सहायता प्रदान की जाएगी। आवश्यक होने पर, डीसीपीयू कानूनी और परामर्श सहायता भी प्रदान करेगा। सीडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-छ** में दी गई है।

2.11 विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)

किशोर न्याय अधिनियम, 2015, में बच्चों के साथ पुलिस इंटरफेस के समन्वय और उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है। गृह विभाग द्वारा जिले या शहर में बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता एसजेपीयू के सदस्य होते हैं।

स्कीम में प्रत्येक एसजेपीयू में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग किया जाएगा। ऐसे स्टाफ की जरूरत और उपलब्धता के आधार पर इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को डीसीपीयू द्वारा एसजेपीयू में तैनात किया जाएगा। दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम एक महिला सामाजिक कार्यकर्ती होनी चाहिए। विशेष किशोर पुलिस इकाई समय-समय पर यथा संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निर्वहन करेगी। प्रत्येक एसजेपीयू में 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय सहायता **जिला अनुलग्नक-III, भाग-घ, तालिका-ख, क्रमांक 6** में दी गई है।

2.12 बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियां

मिशन वात्सल्य देश में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करता है। इन स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचने, समुदायों के साथ जुड़ने और बच्चों के कल्याण का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होना चाहिए।

अतएव, स्थानीय निकायों की मौजूदा स्थायी/उप-समिति प्रणाली के तहत, बाल कल्याण और संरक्षण मुद्दों का कार्य सामाजिक न्याय/महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/ग्राम पंचायत की मौजूदा समिति को सौंपा जा सकता है। स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित समिति को बाल कल्याण और सुरक्षा उपायों के कार्य सौंपने की अधिसूचना जारी की जा सकती है।

पंचायती राज संस्थान	महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित जिला परिषद की समिति
	महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित ब्लॉक स्तरीय समिति
	सामाजिक न्याय/महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर ग्राम पंचायत की स्थायी उप-समिति

इन समितियों को देश में बाल संरक्षण के ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर सेवा वितरण प्रावधान के लिए सहयोग दिया जा सकता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी (म.बा.वि.), जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना कार्यालय समितियों को सशक्त बनाने के लिए सूचना, रिपोर्ट के संदर्भ में सभी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में, बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों को नगरपालिका क्षेत्र विशेष में महिलाओं और बच्चों के मुद्दों से संबंधित मौजूदा स्थायी समिति को सौंपा जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय	महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की स्थायी समिति
	महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित वार्ड स्तरीय समिति

बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के प्रमुख कार्य:

- i) गांवों/ब्लॉक/वार्ड क्षेत्रों में सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना।
- ii) सभी ग्राम पंचायतों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित गतिविधियों के समर्थन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रावधान में शामिल करने की सलाह देना
- iii) शहरी वार्ड क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए नगरपालिका बजट का प्रावधान सुनिश्चित करना।
- iv) क्षेत्र में बच्चों के लिए स्क्रीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण और मूल्यांकन करना।
- v) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सभी विशेष जरूरतों वाले बच्चों, अनाथों, बेसहारा बच्चों आदि का सर्वेक्षण सुनिश्चित करना और उचित कार्यवाई करना ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।
- vi) लापता बच्चों, स्कूल छोड़ चुके, दुर्व्यापार के शिकार, प्रवासी बच्चों, भिखारियों, अनाथ बच्चों की स्थिति पर चर्चा करना और उनके कल्याण के लिए उचित कार्यवाई करना।
- vii) बाल अधिकारों को बढ़ावा देने और बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान और जागरूकता अभियान चलाना।
- viii) किशोर न्याय अधिनियम/नियमों के तहत अपनी भूमिका निभाने में डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी और एसजेपीयू को समर्थन सुनिश्चित करना।
- ix) किशोर न्याय और बाल संरक्षण के क्षेत्र में स्वयंसेवा को बढ़ावा देना।
- x) बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को बढ़ावा देने वाली कैरियर परामर्श, कौशल प्रशिक्षण नामांकन, शिक्षता नामांकन, खेल क्लब/शिविर आदि जैसी अभिसरण गतिविधियां शुरू करना।
- xi) डीसीपीयू के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को संवेदनशील स्थानों और इसका समाधान करने के लिए तैयार की गई कार्यनीति के बारे में रिपोर्ट करना।
- xii) बाल पंचायतों का आयोजन करना और स्कूलों आदि में बच्चों में से गांवों में बाल राजदूतों को नियुक्त करना; और उचित कार्यवाई के लिए ग्राम पंचायतों के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर बच्चों से आवश्यक इनपुट्स निर्धारित करना।

बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को वित्तीय सहायता:

बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण और संरक्षण कार्य को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समर्थित और सशक्त बनाने की जरूरत की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, इन कार्यों के लिए अपने स्वयं के राजस्व संसाधनों और पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध महिलाओं और बच्चों से संबंधित गतिविधियों के लिए निर्धारित असंबद्ध अनुदान के 5% से प्रावधान किया जा सकता है।

2.13 मिशन वात्सल्य पोर्टल

मिशन वात्सल्य पोर्टल कठिन परिस्थितियों में बच्चों से संबंधित विभिन्न एमआईएस के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जिसमें लापता, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चे शामिल हैं। इन कमजोर बच्चों को सरकारी संस्थानों/सेवाओं के साथ मैपिंग करने की जरूरत है ताकि उनकी देखभाल और विकास सुनिश्चित किया जा सके। सीपीएस और किशोर न्याय अधिनियम के तहत चार अलग पोर्टल्स - गुमशुदा/पाए हुए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड; बच्चों के दत्तकग्रहण के लिए केयरिंग्स; स्कीम की निगरानी के लिए आईसीपीएस पोर्टल और;

गुमशुदा और देखे गए बच्चों के लिए नागरिक केंद्रित एप्लीकेशन खोया-पाया, को एनआईसी द्वारा एक एकल पोर्टल के तहत एकीकृत किया जाएगा।

मिशन वात्सल्य पोर्टल के कुछ प्रमुख लाभ निम्न प्रकार होंगे:

- i) विभिन्न एमआईएस डैशबोर्ड्स के माध्यम से बेहतर निगरानी
- ii) जमीनी स्तर पर काम के दोहराव से बचना
- iii) सभी हितधारकों के लिए एकल मंच
- iv) बेहतर निर्णय/नीति बनाना
- v) संसाधनों का इष्टतम उपयोग
- vi) बाल संरक्षण संसाधन निर्देशिका की उपलब्धता
- vii) बेहतर नागरिक भागीदारी
- viii) विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की उपलब्धता
- ix) साक्ष्य आधारित कार्यक्रम, नियोजन और कार्यान्वयन

2.14 चाइल्ड हेल्पलाइन

मिशन वात्सल्य जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित बच्चों के लिए राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में 24x7 हेल्पलाइन सेवा निष्पादित करेगा। मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य और जिला पदाधिकारियों के समन्वय में चलाई जाएगी और गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत होगी।

नोट: चाइल्ड हेल्पलाइन पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।

2.15 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चे

मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत गैर-संस्थागत देखभाल के लिए बच्चों को (अभिभावक के खाते में) 4000/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत बच्चे की संस्थागत देखभाल के लिए, बाल देखभाल संस्थानों को 3000/- रुपये प्रति माह का रखरखाव अनुदान दिया जाएगा। राज्य स्कीम के तहत बच्चों को अतिरिक्त रूप से निर्वाह सहयोग के लिए कोई प्रावधान भी किया जा सकता है।

2.16 मूल्यांकन :

मिशन वात्सल्य एक निरंतर स्कीम है और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और पाठ्यक्रम में सुधार सुझाने के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र की समाप्ति से पहले स्कीम का अन्य पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा यह मूल्यांकन कराएगा।

3. संस्थागत सेवाएं

3.1 बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिकल्पित बाल देखभाल संस्थान, राज्य सरकार को या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) की देखभाल और कानून का उल्लंघन करने वाले

बच्चों (सीसीएल) की प्रवेश और आवासीय देखभाल के लिए गृह स्थापित करने का अधिकार देता है। ये सीसीआई घर से दूर एक घर का कार्य करेंगे और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से बच्चों के सामाजिक पुनः एकीकरण तक

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को व्यापक बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करेंगे। वे बच्चों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में उनके पुनः एकीकरण और पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उनके परिवारों (यदि बच्चे का परिवार है) के साथ काम करेंगे। मिशन जिलों में निम्न प्रकार के बाल देखभाल संस्थानों को सहयोग करेगा:

1) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) के लिए बाल देखभाल संस्थान:

i) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए **बाल गृह** को सहयोग/स्थापित किया जाएगा। आयु, लिंग/ट्रांसजेंडर या बच्चों की विशेष जरूरतों के आधार पर राज्य/जिले द्वारा अलग-अलग गृहों को स्थापित/सहयोग किया जा सकता है।

विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष इकाई: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीसीआई में विशेष जरूरतों वाले बच्चों जो शारीरिक/मानसिक अक्षमताओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे, पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सीसीआई में बच्चों की जरूरत के अनुसार व्यावसायिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा, मौखिक चिकित्सा और अन्य उपचारात्मक कक्षाओं के लिए सीसीआई में ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षकों/चिकित्सक और नर्स सहित सेवाएं प्रदान करने के लिए सीसीआई में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसे गृहों के लिए राज्यों में संसाधन संस्थानों की सहायता से विशेष इकाई के कर्मचारियों का सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि में क्षमता निर्माण किया जाएगा।

ii) राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत **मुक्त आश्रयों** को घर से भागे बच्चों, गुमशुदा बच्चों, दुर्व्यापार किए गए बच्चों, कामकाजी बच्चों, बेघर बच्चों, बाल भिखारियों और मादक द्रव्य सेवन करने वाले बच्चों, किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों, अनधिकृत क्षेत्रों/स्लमों में रहने वाले बच्चों, प्रवासी आबादी के बच्चों, सामाजिक रूप से सीमांत समूहों के बच्चों, और किसी अन्य संवेदनशील समूह के बच्चों को जिले के आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर अल्पावधि के लिए देखभाल के लिए सहयोग दिया जाएगा। इन आश्रयों का उपयोग कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने, परामर्श देने और जीवन कौशल प्रदान करने के लिए किया जाएगा, ताकि उन्हें सड़क पर जीवन बिताने से दूर रखा जा सके। मुक्त आश्रयों का उद्देश्य

बच्चों को स्थायी आवासीय सुविधाएं प्रदान करना नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थागत देखभाल सुविधाओं का पूरक बनना है।

मुक्त आश्रय में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

क) 25 बच्चों के लिए इकाई का न्यूनतम फर्शी क्षेत्र 2000 वर्ग फुट होगा जिसमें एक रसोईघर, दो स्नानघर और दो शौचालय शामिल हैं।

ख) इन मुक्त आश्रयों को चलाने वाले गैर-सरकारी संगठन मुक्त आश्रयों या संपर्क बिंदुओं के लिए उपयुक्त आवास के लिए नगर निगमों, जिला परिषदों, स्लम बोर्डों, रेलवे और परिवहन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

ग) गैर-सरकारी संगठन आवास हेतु व्यवस्था करने के लिए डीसीपीयू की सहायता ले सकते हैं।

ऐसे मुक्त आश्रयों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के इन मुक्त आश्रयों को चलाने के लिए उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों को खोजने में असमर्थ रहने पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपलब्ध धन से इन केंद्रों को चलाएगा। मुक्त आश्रय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-IV, भाग-घ** में दी गई है।

iii) राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियों (एसएए) को अनाथों, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के बारे में जिले की आवश्यकता के आकलन के आधार पर छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए सहयोग दिया जाएगा। एसएए उन बच्चों को गोद लेने की सुविधा प्रदान करेगा जो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। जेल में बंद माता-पिता के छोटे बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए

जेल परिसर के पास या भीतर भी एसएए स्थापित किए जा सकते हैं। एसएए की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-IV, भाग-ग** में दी गई है।

मिशन वात्सल्य राज्य और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी (एसएए) जहां छह वर्ष से कम आयु के गोद लेने वाले बच्चों को आवासीय देखभाल प्रदान की जाती है को सहयोग करेगा। एसएए को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा जारी दत्तकग्रहण नियमों का पालन करना चाहिए। यह जिला बाल संरक्षण इकाई के समग्र पर्यवेक्षण में काम करेगा और दत्तकग्रहण कार्यक्रम के संचालन में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा।

इन एसएए की निर्दिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

बच्चे से संबंधित कार्य:

- क) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों का प्रवेश और पंजीकरण।
- ख) सीडब्ल्यूसी को बच्चे के आगमन की सूचना देना।
- ग) नजदीकी अस्पताल में बच्चे की तत्काल चिकित्सा जांच।
- घ) मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित पोर्टल पर सभी बच्चों का विवरण अपलोड करना।
- ङ) जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के समन्वय से एक महीने के भीतर प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करना और डीसीपीयू द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने पर एक पखवाड़े के भीतर इसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करना। एसएए सीडब्ल्यूसी द्वारा देखभाल योजना के अनुमोदन के छह महीने के भीतर व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के निष्पादन पर डीसीपीयू को रिपोर्ट करेगा।

- च) प्रत्येक छह महीने में व्यक्तिगत देखभाल योजना की समीक्षा की जाएगी और कोई भी बच्चा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए एसएए की देखभाल में नहीं रहेगा।
- छ) बाल अध्ययन रिपोर्ट और शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।
- ज) आवश्यकता पड़ने पर सीडब्ल्यूसी को जांच में सहायता करना और निर्धारित समय के भीतर सीडब्ल्यूसी से कानूनी रूप से मुक्त गोद दत्तक प्रमाणपत्र में तेजी लाना।
- झ) भावी दत्तक माता-पिता से बच्चे का मिलान करना।
- ञ) गोद लेने से पहले और बाद में बच्चों को परामर्श।
- ट) संबंधित एसएए और संरक्षण अधिकारी-गैर-संस्थागत सेवाएं से क्रमशः दो सदस्यों के साथ डीसीपीओ की अध्यक्षता वाली जिला स्थापन समिति की सहायता से दत्तकग्रहण में या दत्तकग्रहण पूर्व पालक देखभाल में बच्चे के नियोजन को सुविधाजनक बनाना।
- ठ) दत्तकग्रहण आदेश और बच्चे के नियोजन को अंतिम रूप देने में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करना।
- ड) बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- ढ) गोद लेने के बाद अनुवर्ती कार्यवाई।
- ण) जैविक माता-पिता, उनके चिकित्सा/मामले के इतिहास, बच्चे के मामले के रिकॉर्ड, जैविक माता-पिता और दत्तक माता-पिता के प्रासंगिक रिकॉर्ड संग्रहीत करना।
- त) नवजात शिशुओं, शिशुओं और बच्चों की देखभाल के लिए देखभाल, स्वच्छ परिसर और पर्याप्त सुविधाओं के बेंचमार्क मानकों को बनाए रखना।
- थ) एसएए में भर्ती प्रत्येक बच्चे के लिए पुनर्वास योजना को इंगित करने के लिए डीसीपीयू और सारा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) से संबंधित कार्य:

- क) नामित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाना।
- ख) बच्चे को अभ्यर्षित करने वाले जैविक माता-पिता/अविवाहित माता की काउंसलिंग और बच्चे के परित्याग और पुनर्वास की रोकथाम के लिए।
- ग) गृह अध्ययन रिपोर्ट का तैयार करना।
- घ) पीएपी के साथ बच्चे का मिलान।
- ङ) गोद लेने से पहले बच्चे को पालक देखभाल में रखने की सुविधा।
- च) सभी पीएपी को गोद लेने से पहले और बाद में परामर्श।
- छ) बच्चे को गोद लेने या रखने के लिए अदालती प्रक्रियाओं को पूरा करना, और
- ज) गोद लेने के बाद अनुवर्ती कार्यवाई करना।

पालना शिशु प्राप्ति केंद्र

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि देश के कई जिलों में संकटग्रस्त बच्चों, खास तौर से परित्यक्त या दुर्व्यापार के लिए संवेदनशील बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय प्राप्त करने या प्रदान करने की सुविधाएं नहीं हैं, मिशन ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक एसएए (अधिमानत: सरकार द्वारा संचालित) में पालना शिशु प्राप्ति केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की है। यह स्वागत केंद्र एसएए द्वारा अपने परिसर से चलाया जाएगा और इसमें शिशुओं के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। इन प्राप्ति केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य परित्यक्त बच्चों को छुड़ाना और गोद लिए जाने तक उचित देखभाल और स्नेह के साथ उनकी देखभाल करना होगा।

प्रत्येक एसएए ऐसे बच्चों को प्राप्त करने के लिए दरवाजे पर अलार्म घंटी के साथ एक पालना स्थापित करेगा। इन पालना शिशु प्राप्ति केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (पीएचसी), अस्पतालों/नर्सिंग होम, बस और रेलवे स्टेशनों, डीसीपीयू के कार्यालय या अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर परित्यक्त शिशुओं को प्राप्त करने के लिए

पालना पॉइंट से जोड़ा जाएगा। पालना शिशु प्राप्ति केंद्र द्वारा प्राप्त प्रत्येक बच्चे के लिए, प्राप्ति केंद्र द्वारा एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे उस एसएए द्वारा विकसित और तैयार किया जाएगा, जिसकी देखभाल में बच्चे को सीडब्ल्यूसी के प्राधिकार के बाद स्थानांतरित किया जाना है।

पालना शिशु प्राप्ति केंद्र द्वारा क्रेडल पॉइंट से बच्चा प्राप्त करने के बाद, यह बच्चे के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं करेगा:

- क) चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार उचित चिकित्सा उपचार और भोजन की व्यवस्था करना;
- ख) बच्चे के आने की सूचना बाल कल्याण समिति को देना;
- ग) बच्चे की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना;
- घ) बच्चे को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना;
- ङ) सक्षम प्राधिकारी के साथ बच्चे के जन्म को पंजीकृत करना; तथा
- च) गोद लेने के माध्यम से बच्चे को एक परिवार में रखने की संभावनाओं का पता लगाना।

डीसीपीयू क्रेडल पॉइंट के लिए पालने की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जीएफआर 2017 के खरीद दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार एसएए में क्रेडल पॉइंट के लिए पालने खरीद सकते हैं।

2) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बाल देखभाल संस्थान:

i) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किसी जांच के लंबित रहने के दौरान, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे के अस्थायी ठहराव, देखभाल और पुनर्वास के लिए पर्यवेक्षण गृह को सहयोग/स्थापित किया जाएगा।

ii) उन बच्चों जिन्होंने अपराध किया है और उन्हें जेजेबी के आदेश द्वारा रखा गया है, को दीर्घकालिक पुनर्वास और सुरक्षा प्रदान करने के लिए **विशेष गृह** स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में विशेष गृहों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए, स्कीम में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

iii) 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के और कानून के उल्लंघन में जघन्य अपराध करने के आरोपित या दोषी ठहराए गए बच्चों को रखने के लिए **सुरक्षित स्थान** स्थापित किया जाएगा। जेजे अधिनियम 2015 में कहा गया है कि राज्य सरकार बोर्ड द्वारा इसे सौंपे गए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को '**सुरक्षित स्थान**' जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, में रखने की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे बच्चे को ऐसे स्थान पर, और ऐसी स्थिति में जैसा वह उचित समझे, सुरक्षात्मक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार, नियमों द्वारा, उन स्थानों के प्रकार जिन्हें 'सुरक्षित स्थान' के रूप में नामित किया जा सकता है और उनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को निर्धारित कर सकती है। बाल देखभाल संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-IV, भाग-ख** में दी गई है।

3) **वात्सल्य सदन** सीसीआई (बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान) का एक एकीकृत गृह परिसर होगा, साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जेजेबी और सीडब्ल्यूसी एकल परिसर में स्थित होंगे। राज्य आवश्यकता और भूमि की उपलब्धता के अधीन ऐसे मॉडल परिसर स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक गृह में 50 एवं 25 बच्चों की इकाई हेतु वात्सल्य सदन (एकीकृत गृह परिसर) प्रस्तावित किया जा सकता है।

समय-समय पर राज्यों ने अपनी आवश्यकता के आधार पर एकीकृत गृह परिसर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन वात्सल्य के तहत "वात्सल्य सदन" के निर्माण का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। "वात्सल्य सदन" होने के लाभ से व्यवधान, मामले की जरूरतों के लिए यात्रा का समय बचाने/कम करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राज्य संबंधित राज्य के लिए विशिष्ट रंग योजना और भवन डिजाइन विकसित कर सकते हैं। राज्य सहायता अनुदान के केंद्र और राज्य अंश के अलावा अतिरिक्त बजट आवंटित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जहां तक संभव हो, इन एकीकृत गृहों में लगभग 1200 वर्ग फुट आकार का खेल का मैदान हो सकता है। राज्य किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016, नियम 29 के अनुसार खेल के मैदान की व्यवस्था कर सकते हैं।

एकीकृत गृह परिसर के लिए लागत मानदंड के साथ ही वर्ग फुट में अपेक्षित क्षेत्र विभिन्न प्रकार के गृहों, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के लिए अनुमोदित क्षेत्र और उनके संबंधित लागत मानदंडों के अनुसार होगा। परिसर को विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सुलभ बनाने के साथ ही हरित परिवेश और ऊर्जा सक्षम भवन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत अनुमान बनाया जा सकता है। भौतिक अवसंरचना का विवरण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016, नियम 29 के अनुसार होना चाहिए। राज्य भूमि की उपलब्धता की शर्त को पूरा करने वाले आवश्यकता-आधारित प्रस्ताव और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) /केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) का विस्तृत अनुमान मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

सीसीआई और वात्सल्य सदन हेतु अवसंरचना के वित्तीय मानदंड **अनुलग्नक-IV, भाग ड** में दिए गए हैं।

3.1.1 सीसीआई के लिए सामान्य शर्तें

मिशन देश में मौजूदा बाल देखभाल संस्थानों के रखरखाव या नए बाल देखभाल संस्थानों को चालू करने में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सहायता करेगा:

- i) सीसीआई का किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकरण किया जाएगा।
- ii) सीसीआई को किशोर न्याय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार होना चाहिए।
- iii) गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित सीसीआई के प्रमाणपत्रों का राज्य सरकार द्वारा सत्यापन।
- iv) सीसीआई स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन।
- v) छह वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग सीसीआई चलाए जाएंगे।
- vi) किसी भी सीसीआई को जिला मजिस्ट्रेट की आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
- vii) किसी शहर या कस्बे विशेष में किसी संस्थान का स्थान और आकार किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रतिबद्ध कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और बाल कल्याण समिति द्वारा संदर्भित देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के भार पर निर्भर करेगा।
- viii) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सीसीआई अलग-अलग परिसर में चलेंगे।
- ix) संस्थान प्राकृतिक परिवेश में बच्चों के अनुकूल वातावरण में बच्चों के लिए बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए पर्याप्त खुली जगह के साथ स्थित होने चाहिए। प्रत्येक संस्थान परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए और स्कूलों और तकनीकी और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण

- संस्थानों के आसपास होना चाहिए ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे/देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चे उन तक आसानी से पहुंच सकें।
- x) सभी सीसीआई को समान सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए सहयोग दिया जाएगा, भले ही बच्चे कानून का उल्लंघन करने वाले हों या देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद हों।
 - xi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीसीआई में आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, ब्रिज शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम (एनओएसपी), स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि की शुरुआत करनी होगी;
 - xii) 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के सीसीआई में बच्चों के लिए विशिष्ट अल्पकालिक उपयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं।
 - xiii) सीसीआई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 में निर्धारित देखभाल के न्यूनतम मानकों की शर्तों का अनुपालन करेंगे।

3.1.2 बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की क्षमता

बाल देखभाल संस्थानों को सामान्य रूप से 50 बच्चों को समायोजित करने के लिए समर्थन दिया जाएगा; हालांकि, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, राज्यों की आवश्यकता के अनुसार 25 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई को सहायता प्रदान की जाएगी। सभी सीसीआई के पास जेजे अधिनियम और उसके नियमों के तहत अनिवार्य अवसंरचना, देखभाल करने वालों, सेवा प्रदाताओं या किसी अन्य घटक के मामले में समान सुविधाएं हो सकती हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान गृहों में मौजूद बच्चों की औसत संख्या के आधार पर इकाइयों की संख्या भिन्न हो सकती है।

3.1.3 बाल देखभाल संस्थानों में कर्मचारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

बाल देखभाल संस्थानों में कर्मचारियों/देखभाल करने वालों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमों के तहत निर्दिष्ट कार्य और कर्तव्य शामिल होंगे। सीसीआई के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता **अनुलग्नक-IV, भाग-क** में दी गई है।

3.2 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीसीआई के साथ ही सेवा वितरण संरचनाओं में एसएपी गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना होगा:

- i) सीसीआई में बच्चों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर गतिविधियां जैसे नाखून काटना, हाथ धोना, वार्डरोब की सफाई आदि। बच्चों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोकर अपने हाथों को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- ii) सीसीआई की, खास तौर से बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित और बार-बार साफ-सफाई सुनिश्चित करना।
- iii) परिसर में धुआं देकर सफाई, स्वच्छ पेयजल की नियमित व्यवस्था और भंडारण टैंकों की सफाई करना।
- iv) सीसीआई के वाशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन और बहते पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- v) सीसीआई में जल, स्वच्छता और स्वच्छता (वॉश) पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
- vi) शौचालय पर्याप्त संख्या में, सुलभ और बच्चों के अनुकूल होने चाहिए।
- vii) सीसीआई में पोषक-रसोई उद्यान विकास।

- viii) सीसीआई में वृक्षारोपण अभियान।
- ix) सीसीआई के बच्चों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता पर समूह चर्चा।
- x) "अपशिष्ट को बेहतर बनाएं" पर बच्चों के साथ कला और शिल्प गतिविधि।
- xi) वेबसाइट (टों) और सभी सीसीआई में वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेश प्रदर्शित करना।
- xii) एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग पर अंकुश लगाना और कार्यालय में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना।
- xiii) बाल समिति द्वारा कमरे, शौचालय, भोजन, कपड़े आदि की सफाई का निरीक्षण।
- xiv) रसोई गैस के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग।
- xv) स्वच्छता पर एक वेबिनार, कार्यशाला, फिल्म शो, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कविता प्रतियोगिता आयोजित करना।
- xvi) पखवाड़े के बीच और अंत में सूचना के प्रसार और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए क्षेत्र संरचनाओं के साथ एक वीसी/बैठक का आयोजन करना।
- xvii) जागरूकता सृजन के लिए सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि) का उपयोग।
- xviii) समय-समय पर जारी कोई अन्य प्रासंगिक निर्देश।

4. गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं

किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की देखभाल और संरक्षण का एक मार्गदर्शक सिद्धांत कहता है कि किसी बच्चे को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा। इस भावना से, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए मॉडल नियमों में बच्चों के पुनर्वास और पुनः समेकन में देखभाल के लिए परिवार और समुदाय आधारित विकल्प में प्रायोजन, पालक-पोषण, गोद लेने और बाद की देखभाल के माध्यम से गैर-संस्थागत देखभाल को प्राथमिकता दी गई है।

मिशन में गैर-संस्थागत देखभाल के निम्न तरीकों के माध्यम से बच्चों को सहयोग किया जाएगा:

- i) **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/जैविक संबंधियों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय सहयोग दिया जा सकता है।
- ii) **पालक देखभाल:** बच्चे की देखभाल की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक असंबद्ध परिवार द्वारा बच्चे की जिम्मेदारी ली जाती है। जैविक रूप से असंबद्ध पालक माता-पिता को बच्चे के पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- iii) **दत्तकग्रहण:** दत्तकग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त पाए गए बच्चों के लिए परिवार ढूंढना। विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियां (एसएए) दत्तकग्रहण कार्यक्रम को सुगम बनाएंगी।
- iv) **पश्चात देखभाल:** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ रहे बच्चों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से 21 वर्ष तक दी जा सकती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।

प्रायोजन या पालक देखभाल या पश्चात देखभाल के लिए राज्य सरकार को 4000/- रुपये प्रति बच्चे का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकारों को प्रायोजन और पालक देखभाल कोष के तहत एससीपीएस को अतिरिक्त अनुदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन बच्चों की पहचान करने के लिए कदम उठा सकते हैं जिन्हें पीआरआई और शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से सुरक्षा की जरूरत है। प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) होगी जो प्रायोजन (केवल निवारक व्यवस्था के लिए) और पालक देखभाल कोष की समीक्षा करेगी और इसकी मंजूरी देगी। गैर-संस्थागत देखभाल जेजे अधिनियम और इसके नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों और प्रक्रिया के अधीन की जाएगी।

4.1 प्रायोजन

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (58) के अनुसार, प्रायोजन को 'परिवारों को बच्चे की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासपरक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा पूरक सहायता के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है'। प्रायोजन कार्यक्रम के तहत, मिशन देखभाल या संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे की पर्याप्त देखभाल के लिए जैविक परिवारों या बच्चों के विस्तारित परिवारों की पूर्ति करेगा। यह एक सशर्त सहायता होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को बिना विस्थापन के, समुदाय में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने और विकसित होने का अवसर मिले।

4.1.1 प्रायोजन के प्रकार

प्रायोजन के तहत सहायता, चयन के लिए मानदंड और प्रायोजन के तहत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया दो प्रकार की होगी -

- क. - सरकारी सहायताप्राप्त प्रायोजन
- ख. - निजी सहायताप्राप्त प्रायोजन

राज्य सरकार प्रायोजन के तहत देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद पात्र बच्चों को संतुष्ट करने की मांग कर सकती है।

क. सरकारी सहायताप्राप्त प्रायोजन :

इस प्रकार के प्रायोजन में निवारक और पुनर्वास दो श्रेणियां होंगी।

- i) **निवारक :** किसी बच्चे को जैविक परिवार (विस्तृत परिवार और रक्त संबंधियों सहित) में बने रहने के लिए, उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक संवेदी परिवार को प्रायोजन सहायता प्रदान की जाएगी। यह बच्चों को निराश्रित, संवेदनशील, भगोड़ा, बाल विवाह, बाल श्रम आदि के लिए मजबूर होने से रोकने की दिशा में एक प्रयास है। डीसीपीयू अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं, पहुंच कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के साथ ही शहरी वार्ड समिति/ग्राम पंचायत की मदद से प्रायोजन सहायता के लिए संवेदनशील परिवारों या बच्चों की पहचान करेगी।
- ii) **पुनर्वास :** संस्थाओं के भीतर के बच्चों को भी प्रायोजन सहायता से परिवारों में बहाल किया जा सकता है। व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर, एक संस्था सीडब्ल्यूसी/जेजेबी से संपर्क करेगी और प्रायोजन निधि के माध्यम से पुनर्वास के लिए डीसीपीयू को उपयुक्त मामले की सिफारिश करेगी। इस तरह के पुनर्वास में तत्काल परिवार, विस्तारित परिवार, बच्चे को ज्ञात परिवार, पड़ोस/समुदाय, और फिर असंबंधित और अज्ञात पालक परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रायोजन कोष की मंजूरी के लिए डीसीपीयू को सिफारिश करने से पहले सीडब्ल्यूसी/जेजेबी द्वारा मामलों की समीक्षा की जाएगी।

ख. निजी सहायताप्राप्त प्रायोजन :

निजी सहायताप्राप्त प्रायोजन के तहत इच्छुक प्रायोजक (व्यक्ति/संस्थान/कंपनी/बैंक/औद्योगिक इकाइयां/ट्रस्ट आदि) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं :

- i) **व्यक्तिगत प्रायोजन-** किसी संस्था या परिवार के एक या दो बच्चों को वस्तु के रूप में और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता।
- ii) **समूह प्रायोजन** - संस्था में रहने वाले एक से अधिक परिवार (अधिकतम आठ बच्चों तक) के बच्चों को वस्तु के रूप में और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता।
- iii) **सामुदायिक प्रायोजन** - समुदाय के एक या अधिक परिवारों के आठ से अधिक बच्चों को वस्तु के रूप में और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता।
- iv) **बाल देखभाल संस्थान का प्रायोजन-** बुनियादी सुविधाओं के सुदृढीकरण, सेवा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने, खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण, कोचिंग कक्षाओं का विस्तार करने, चिकित्सा सहायता और सुविधाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब के लिए सहायता, आदि के लिए सीसीआई को स्वयं सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट किसी बच्चे या बच्चों के समूह या संस्था को प्रायोजित करने के लिए व्यक्तियों या सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रोत्साहित करने के उपाय कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों के अनुसार शर्तों के अधीन होगी। इस प्रकार प्राप्त निधियों का लेखा सीसीआई की वार्षिक लेखापरीक्षा के अधीन अलग से रखा जा सकता है, और मिशन वात्सल्य पोर्टल पर प्रकाशित किया जा सकता है।

राज्य सरकारें जेजे अधिनियम की धारा 105 के तहत खोले गए किशोर न्याय कोष के माध्यम से सभी निजी प्रायोजन निधियां प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती हैं। निजी प्रायोजन राशि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड से कम नहीं हो सकती है। प्रायोजन अवधि न्यूनतम एक वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अवधि तक हो सकती है।

4.1.2 प्रायोजन के लिए मानदंड

- 1) जहां माता विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो;
- 2) जहां बच्चे अनाथ हों और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हों;
- 3) जहां माता-पिता जीवन के लिए खतरनाक/अंत्य बीमारी के शिकार हों;
- 4) जहां माता-पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हों;
- 5) जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे, जैसे बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, दुर्व्यापार किए गए बच्चे, एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, लापता या भागे हुए बच्चे, बाल भिखारी या सड़क पर रहने वाले, सहायता और पुनर्वास के जरूरतमंद प्रताड़ित या प्रताड़ित या शोषण किए गए बच्चे;
- 6) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत शामिल बच्चे।

4.1.3 निवारक प्रायोजन के लिए आर्थिक मानदंड

निवारक प्रायोजन के लिए, आवासीय क्षेत्र के प्रकार, सामाजिक अभाव और व्यवसाय के "प्रॉक्सी मापदंडों" के आधार पर अत्यधिक अभावग्रस्त बच्चों, जिनकी पारिवारिक आय इससे अधिक न हो, का चयन किया जाएगा: -

- क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72,000/- रुपये प्रति वर्ष,
- ख) अन्य के लिए 96,000/- रुपये प्रति वर्ष।

4.1.4 प्रायोजन की अवधि

किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, या बाल न्यायालय द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर प्रायोजन को 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। प्रायोजन सहायता की अवधि मिशन वात्सल्य की अवधि के साथ समाप्त होगी।

परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और अन्यथा बच्चे की संतोषजनक देखभाल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) समय-समय पर सभी प्रायोजन मामलों की समीक्षा कर सकती है।

प्रायोजन कार्यक्रम के तहत निधियों की स्वीकृति और जारी करने की प्रक्रिया:

- क) संस्थागत देखभाल में बच्चे के लिए प्रायोजन सहायता के अनुरोध को डीसीपीयू या बच्चे के परिवार द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
- ख) डीसीपीयू प्रत्येक तिमाही के पहले सप्ताह में या प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने की जरूरत के अनुसार एसएफसीएसी की बैठक आयोजित करेगा।
- ग) अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों, यदि वे छह महीने में गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त नहीं होते/गोद नहीं लिए जाते, को वरीयता दी जाएगी।
- घ) समिति पात्र बच्चों को डीसीपीयू के माध्यम से डीएम को सिफारिश करेगी
- ङ) डीएम बाल कल्याण समिति की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन देंगे या मामलों को समीक्षा के लिए संदर्भित करेंगे।
- च) समिति डीएम द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करके उन पर प्रतिक्रिया दे सकती है।
- छ) डीएम सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- ज) डीसीपीओ बच्चे के नाम पर अनुसूचित बैंक/डाकघर में एक खाता खोलेगा, जिसका संचालन बच्चे के अभिभावक, अधिमानतः माता द्वारा किया जाएगा।
- झ) डीसीपीओ गैर संस्थागत देखभाल के लिए उचित औचित्य सहित बजटीय आवंटन के लिए एससीपीएस से भी अनुरोध करेगा।
- ञ) आवंटन जिला स्तर पर मिशन के लिए खोले गए एकल नोडल खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
- ट) मिशन खाते से बच्चों के खाते में राशि जारी करने की स्वीकृति के लिए डीएम सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- ठ) एक बार स्वीकृत होने के बाद, बच्चे के खाते में मासिक तौर पर राशि जमा की जाएगी।
- ड) डीसीपीयू जिले के सरकारी अस्पताल/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से बच्चे के स्वास्थ्य की वार्षिक जांच करा सकता है और उसे डीसीपीयू के सामाजिक कार्यकर्ता या पहुंच कार्यकर्ता से घर और स्कूल की जांच रिपोर्ट सहित प्रायोजन सहयोग की समीक्षा और समय विस्तार के लिए प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- ढ) प्रायोजन सहयोग की अवधि प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति द्वारा मामले के आधार पर तय की जाएगी, और इसे 2025-26 तक बढ़ाया जा सकता है।
- ण) डीसीपीयू द्वारा बच्चों और परिवारों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और इसमें घर और स्कूल के तिमाही दौरे शामिल होंगे।
- त) यदि किसी भी समय बच्चे को संस्थागत रूप देना है तो प्रायोजन सहयोग बंद कर दिया जाएगा।
- थ) विशेष जरूरतों वाले बच्चों को छोड़कर, स्कूल जाने वाले बच्चे की 30 दिनों से अधिक समय तक स्कूल में उपस्थिति अनियमित पाई जाने पर, प्रायोजन सहयोग की समीक्षा की जाएगी और उसे निलंबित कर दिया जाएगा।

4.2 पालक देखभाल:

जेजे अधिनियम 2015 की धारा 44, और उसके नियमों में उल्लिखित पालक देखभाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे को, आमतौर पर अल्पावधि या विस्तारित अवधि के लिए, देखभाल और संरक्षण के उद्देश्य से असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रखा जाता है। किसी बच्चे

को पालक देखभाल में रखते समय, उन परिवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके सांस्कृतिक, जनजातीय और/या सामुदायिक संबंध समान होते हैं। पालक देखभाल में समूह पालक देखभाल शामिल होगी जिसके तहत असंबंधित बच्चों के एक समूह को ऐसे पालक परिवार के साथ या पालक देखभालकर्ताओं की देखरेख में ऐसे परिवार में रखा जाता है, जिनके अपने जैविक बच्चे हों या न हों। समूह पालक देखभाल को माता-पिता की देखभाल से विहीन देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक उपयुक्त सुविधाजनक पारिवारिक देखभाल के रूप में परिभाषित किया गया है।

समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने पर विचार किए जा रहे और गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए गए 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को, जहां तक संभव हो पालक देखभाल में नियोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चों को दत्तकग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तकग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार प्रदान किया जाएगा। जिन में पालक देखभाल दी जा सकने वाली परिस्थितियां, सीडब्ल्यूसी पर उनके समक्ष प्रस्तुत व्यक्तिगत मामले के उनके आकलन के आधार पर होंगी।

4.2.1 पालक देखभाल की अवधि

- i) अल्पावधि अवधि के लिए पालक देखभाल का अर्थ है एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं।
- ii) समय की विस्तारित अवधि के लिए पालक देखभाल समिति द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक बच्चे का नियोजन है। अवधि चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, पालक देखभाल माता-पिता के साथ बच्चे की अनुकूलता के आकलन पर आधारित होगी, नियोजन की अवधि समिति द्वारा समय-समय पर तब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता।

4.2.2 पालक देखभाल के लिए पात्र बच्चे:

- i) 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो दो वर्ष से अधिक समय से बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं, और उन्हें गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित नहीं किया गया है, उन्हें संस्था में तैयार उनकी व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर पालक देखभाल में रखा जा सकता है।
- ii) ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्होंने अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण अपने बच्चे की देखभाल के लिए समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया है; ऐसे बच्चों को अधिमानतः पालक देखभाल में रखा जा सकता है।
- iii) जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे, जैसे बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, दुर्व्यापार किए गए बच्चे, एचआईवी/ एड्स से प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, लापता या भागे हुए बच्चे, बाल भिखारी या सड़क पर रहने वाले, सहायता और पुनर्वास के जरूरतमंद प्रताड़ित या प्रताड़ित या शोषण किए गए बच्चे।

4.2.3 पालक परिवार के चयन के लिए मानदंड:

किशोर न्याय नियमावली, 2016 के नियम 23 या समय-समय पर संशोधित में डीसीपीयू द्वारा पालक परिवार और समूह पालक देखभाल व्यवस्था का चयन करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया और सीडब्ल्यूसी द्वारा निरीक्षण निहित है।

डीसीपीयू द्वारा पालक परिवारों की पहचान:

- i) जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) उन परिवारों की पहचान करेगी जो बच्चे की प्राथमिकता के साथ बच्चों को पालक देखभाल में रखने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन से, डीसीपीयू समय-समय पर परिवार पालक देखभाल हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन देगा।

- ii) जिला बाल संरक्षण इकाई मानदंडों के आधार पर आवेदकों की छंटनी करेगी और पालक परिवारों का साक्षात्कार आयोजित करेगी जो भावी पालक परिवार के मूल्यांकन में मदद करेगी।
- iii) जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक पालक परिवार द्वारा सूचित किए गए समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों के दो संदर्भों का भी सत्यापन करेगी।
- iv) डीसीपीयू, भावी पालक परिवार का आकलन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति की पूरी तरह से जांच करेगा कि वे बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और बच्चे के लिए पालक देखभाल अनुरक्षण भुगतान पर निर्भर नहीं हैं; तथापि यदि मूल्यांकन में अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है और केवल वित्तीय सहायता की जरूरत है, और विकल्पों की अनुपस्थिति में, सीडब्ल्यूसी के अंतिम आदेशों के बाद जिले में इस उद्देश्य के लिए गठित समिति को मामले की सिफारिश की जाएगी। वित्तीय सहायता, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा के मामले में, आवश्यकता होने पर, बाद में भी प्रदान की जा सकती है।
- v) जिला बाल संरक्षण इकाई संभावित पालक परिवारों का एक रोजर/पैनल बनाए रखेगी जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली पालक देखभाल के प्रकार के बारे में ब्योरा दिया जाएगा, जिसे बाल कल्याण समिति को बच्चों को पालक देखभाल में रखने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
- vi) डीसीपीयू पालक देखभाल में नियोजन के लिए बच्चे की तैयारी शुरू करेगा और पालक माता-पिता और पालक बच्चे की मिलान प्रक्रिया शुरू करेगा और उसके लिए रिपोर्ट तैयार करेगा। इन रिपोर्टों को मिलान प्रक्रिया के दौरान डीसीपीयू द्वारा समानांतर भरा जाना है और मिलान के लिए लिखित आवरण पत्र के साथ सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया जाना है।

पालक देखभाल कार्यक्रम के तहत निधियों को स्वीकृत और जारी करने की प्रक्रिया :

- i) बच्चे को पालने के इच्छुक दंपति/परिवार निर्धारित प्रारूप में डीसीपीयू को आवेदन कर सकते हैं।
- ii) डीसीपीयू सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस से पृष्ठभूमि सत्यापन द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर सकता है। परिवार की आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- iii) बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त परिवारों के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व, परिवारों को बच्चे को पालने की जिम्मेदारियां समझाने का परामर्श दिया जा सकता है और उनकी मानसिक तैयारी के बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है।
- iv) देखभालकर्ता परिवार वित्तीय सहायता मांग सकता है यदि उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष या म. बा. वि. मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से कम हो।
- v) यदि वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, तो प्रायोजन सहयोग प्रदान करने जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- vi) दत्तकग्रहण या जैविक विस्तारित परिवारों के साथ पुनर्वास करने में असमर्थ बच्चों के संबंध में, पालक देखभाल के लिए विचार किया जा सकता है।
- vii) डीसीपीओ बच्चे और भावी पालक माता-पिता के बीच परिचयात्मक बैठक आयोजित करेगा। व्यवस्था तभी सक्रिय की जा सकती है जब बच्चा पालक माता-पिता/परिवार के साथ रहने के लिए तैयार हो।
- viii) पालक देखभाल प्रबंधों का अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।
- ix) डीसीपीयू जिले के सरकारी अस्पताल/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से बच्चे के स्वास्थ्य की वार्षिक जांच करा सकता है और उसे डीसीपीयू के सामाजिक कार्यकर्ता या पहुंच कार्यकर्ता से घर और स्कूल की जांच रिपोर्ट सहित प्रायोजन सहयोग की समीक्षा और समय विस्तार के लिए प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

- x) डीसीपीयू द्वारा बच्चों और परिवारों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और इसमें घर और स्कूल के तिमाही दौरे शामिल होंगे।
- xi) स्कूल जाने की आयु के सभी पालक बच्चे, बच्चे की विकलांगता या बीमारी के विशेष मामलों जिसे डीसीपीयू द्वारा सत्यापित किया जाएगा, के सिवाय नियमित रूप से औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल होंगे।
- xii) यदि किसी भी समय बच्चे को संस्थागत रूप देना है तो पालक देखभाल सहायता बंद कर दी जाएगी। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को छोड़कर, स्कूल जाने वाले बच्चे की 30 दिनों से अधिक समय तक स्कूल में उपस्थिति अनियमित पाई जाने पर, प्रायोजन सहयोग की समीक्षा की जाएगी और उसे निलंबित कर दिया जाएगा।

प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी)

प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालन-पोषण अनुमोदन समिति होगी जो प्रायोजन (केवल निवारक व्यवस्था के लिए) और पालक देखभाल निधि की समीक्षा और मंजूरी देगी। प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) की संरचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	सदस्यगण	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति	सदस्य
3.	विशिष्ट दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएए) के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	सदस्य सचिव
6.	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)	सदस्य

प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

- i. मिशन के तहत प्रावधान किए गए प्रायोजन और पालक देखभाल कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) होगी।
- ii. प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति प्रत्येक सिफारिश की समीक्षा करेगी और इसके योग्य पाए गए सभी मामलों में प्रायोजन और पालक देखभाल सहयोग के मामलों का अनुमोदन करेगी। इसके बाद पात्र मामलों को प्रायोजन/पालक देखभाल, जैसा भी मामला हो, के लिए अंतिम आदेश के लिए बाल कल्याण समिति को भेजा जाएगा।
- iii. प्रत्येक जिले में प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) सीडब्ल्यूसी से अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रायोजन और पालक देखभाल को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होगी।
- iv. एसएफसीएसी हर महीने बैठक करेगी और समयबद्ध तरीके से कार्य करेगी। अनुरोध पर निर्णय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर लिया जाएगा।
- v. एसएफसीएसी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए प्रायोजन/पालक देखभाल के तहत प्रत्येक बच्चे की एक वार्षिक समीक्षा की जाएगी कि बच्चे की देखभाल अच्छी तरह की जा रही है और उसे अच्छी तरह समायोजित किया गया है। इसी समीक्षा के आधार पर निरंतर प्रायोजन सहयोग की स्वीकृति दी जाएगी।

- vi. एसएफसीएसी यह समीक्षा करेगी कि क्या डीसीपीयू ने अन्य विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से परिवार को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं।
- vii. एसएफसीएसी समीक्षा करके परिवार आधारित प्रायोजन सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करेगी।

एसएफसीएसी द्वारा प्रायोजन की समीक्षा :

एसएफसीएसी निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवार आधारित प्रायोजन सेवा की समीक्षा और समाप्ति की सिफारिश कर सकती है :

- i) जब बच्चा 18 वर्ष की आयु का हो गया हो।
- ii) जब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी हो और परिवार स्वेच्छा से प्रायोजन सहयोग छोड़ दे।
- iii) जब बच्चे ने स्कूल और/या आंगनवाड़ी जाना बंद कर दिया हो (बच्चे की विकलांगता या बीमारी के विशेष मामलों को छोड़कर जिसे डीसीपीयू द्वारा सत्यापित किया जाएगा) स्कूल जाने वाले बच्चे के अनियमित पाए जाने पर प्रायोजन सहयोग की समीक्षा की जाएगी और बच्चे की स्कूल उपस्थिति में 30 दिन से अधिक अनियमितता पाए जाने पर निलंबित कर दिया जाएगा।
- iv) बच्चे को एक बार फिर सीसीआई में रखा गया हो।
- v) यदि बच्चे को चिकित्सीय समस्या हो और माता-पिता जरूरी देखभाल करने में असमर्थ हों।
- vi) यदि माता-पिता दोनों बच्चे की देखभाल करने में अक्षम या अनुपयुक्त हो गए हों (ऐसे मामले में प्रायोजन किसी संबंधी या अन्य परिवार-आधारित देखभाल व्यवस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है)।
- vii) यदि बच्चा और परिवार कम से कम तीन महीने एक-दूसरे के साथ रहने के बाद भी समायोजित करने में असमर्थ हों (यदि बच्चे को सीसीआई से रिहा किया गया हो)।

संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल) को बच्चे और परिवार की मौजूदा स्थिति और सेवा की संभावित समाप्ति के कारणों को एसएफसीएसी के सामने रखना चाहिए और बच्चे की ओर से आगे की कार्यवाही के लिए उसकी सलाह लेनी चाहिए।

यदि एसएफसीएसी प्रायोजन को समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो आवश्यक होने पर बच्चे के लिए वैकल्पिक देखभाल और पुनर्वास उपायों की सिफारिश कर सकती है। इसमें एक वैकल्पिक नियोजन भी शामिल हो सकता है जिसमें बच्चे का सर्वोत्तम हित हो। यह सिफारिश सीडब्ल्यूसी के समक्ष रखी जाएगी। सीडब्ल्यूसी तब प्रायोजन को रद्द या बंद कर देगा और बच्चे की केस फाइल बंद कर देगा। ऐसे मामले में संरक्षण अधिकारी (एनआईसी) बच्चे के उपयुक्त नियोजन के लिए सीडब्ल्यूसी से संपर्क करेगा।

4.3 पश्चात देखभाल :

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 2(5) और धारा 46 के तहत संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों की पश्चात देखभाल का प्रावधान यह अधिदेश करता है कि "अठारह वर्ष पूरे होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को समाज की मुख्यधारा में पुनःसमेकन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्दिष्ट तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

पश्चात देखभाल उन सभी युवाओं के लिए है, जो अपने बचपन के दौरान किसी भी प्रकार की वैकल्पिक देखभाल जैसे बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, आदि या उपयुक्त सुविधाओं में बड़े हुए हैं और उन्हें 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें

छोड़ना पड़ा। बाल देखभाल स्थापन छोड़ने और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने वाले युवा व्यक्ति के लिए यह संक्रमण विभिन्न चुनौतियों के साथ ही इन स्थितिजन्य और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। यह संक्रमण काल एक नाजुक अवधि है क्योंकि इस दौरान युवाओं को सहयोग न मिलने पर, उनके लिए उपलब्ध अवसर खो सकते हैं।

राज्य सरकार अठारह वर्ष की आयु होने पर बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने वाले बच्चों को उनकी शिक्षा, उन्हें रोजगार योग्य कौशल और नियोजन, उद्योग शिक्षता, व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सहायता के साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा में उनके पुनः एकीकरण को सुगम बनाने के लिए ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी। ऐसी योजना अधिमानतः बच्चे के 16 वर्ष की आयु का होने पर बनाई जा सकती है और उसके 18 वर्ष की आयु का हो जाने पर इसे कार्यान्वित किया जा सकता है।

4.3.1 पश्चात देखभाल प्राप्त करने के लिए मानदंड

प्रत्येक युवा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का हो गया है और जिसकी एक बच्चे के रूप में (यानी 18 वर्ष से कम आयु में) किसी औपचारिक या अनौपचारिक स्वरूप के वैकल्पिक देखभाल में देखभाल और संरक्षण किया गया है; देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और निकट सहयोग के जरूरतमंद बच्चों को ऐसी देखभाल, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से देखभाल सेवाओं और सुविधाओं के साथ निकट और निरंतर दीर्घकालिक देखभाल प्रदान की जाएगी।

4.3.2 पश्चात देखभाल की अवधि

18 वर्ष के बाद अधिकतम तीन वर्ष (21 वर्ष की आयु तक) के लिए युवा व्यक्ति को पश्चात देखभाल सहयोग प्रदान किया जाएगा और इसे 23 वर्ष की आयु तक (असाधारण मामलों में) या युवा व्यक्ति के समाज की मुख्यधारा में आने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है।

4.3.3 वित्तीय मानदंड

भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और आश्रय, आयु अनुकूल और जरूरत आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति सहित बुनियादी जरूरतों और युवाओं की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत पश्चात देखभाल योजना (आईएपी) को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए पश्चात देखभाल प्रदान करने के इच्छुक बाल देखभाल संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को 4,000/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पश्चात देखभाल में मुख्य रूप से युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करने और उन्हें समाज में उपयुक्त जीवन बिताने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

राज्य सरकार युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से केंद्रीय सहायता के अलावा ऐसे युवाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। कुछ प्रासंगिक मंत्रालय/विभाग आवास, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास, खेल, युवा मामले, सामाजिक न्याय, जनजातीय विकास, वित्तीय सेवाएं विभाग, उद्योग विभाग आदि से संबंधित हैं।

5. अभिसरण

5.1 अभिसरण कार्यनीति

मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बाल कल्याण और संरक्षण के वांछित परिणाम हासिल करने के लिए स्कीमों और प्रयासों के माध्यम से अभिसरण कार्यनीति को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। अभिसरण मैट्रिक्स को निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है।

अभिसरण मैट्रिक्स

(क) अंतर मंत्रालय अभिसरण

क्र. सं.	स्कीम	अभिसरण गतिविधियां
1.	मिशन सक्षम	- जमीनी स्तर की पहुंच और संपर्क के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं की शक्ति का उपयोग करना - अनाथ बच्चों और एकल माता-पिता वाले बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में आधारभूत डेटा का संग्रहण
2.	मिशन शक्ति	- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/संबल के तहत लिंग संवेदीकरण के संबंध में पैरवी के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) छोड़ने वाली लड़कियों के सुचारु रूप से संक्रमण के लिए शक्ति सदन और कामकाजी महिला छात्रावासों के साथ संपर्क - संस्थागत/गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और संरक्षण की जरूरतमंद युवतियों (18 वर्ष से कम) को सहयोग/पुनर्वास के लिए
3.	कारा	जागरूकता, पैरवी और सारा को सहयोग के माध्यम से दत्तकग्रहण को सुगम बनाना

(ख) अंतर-मंत्रालय अभिसरण

क्र. सं.	स्कीम/मंत्रालय	अभिसरण गतिविधियां	अभिसरण कार्यवाई
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	मिशन वात्सल्य के तहत वित्तपोषित सीसीआई में नशामुक्ति स्कीम के तहत उपलब्ध नशामुक्ति पहल का प्रावधान	- संबंधित सीसीआई में नशा मुक्ति गतिविधि शुरू करना - अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को छात्रवृत्ति स्कीम के तहत शामिल करना.

		• अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को छात्रवृत्ति स्कीम के तहत शामिल करना	• भौतिक तिमाही रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
2.	विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	• विकलांग बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य के तहत वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थानों में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम के तहत सहयोग का अभिसरण	• सीसीआई में बच्चों को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम का लाभ देना • भौतिक तिमाही रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
3.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं अन्य स्कीमों के तहत बाल देखभाल संस्थानों/ गैर-संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण	सीसीआई और गैर-संस्थागत देखभाल में बच्चों का कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए अभिविन्यास, सूचना और पंजीकरण करके कौशल विकास को एकीकृत करना। भौतिक तिमाही रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
4.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	समग्र शिक्षा अभियान के तहत सीसीआई में रहने वाले बच्चों की शिक्षा	सीसीआई में रहने वाले बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना। भौतिक तिमाही रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (बाल स्वास्थ्य प्रभाग)	• आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को स्वास्थ्य कवरेज • बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए जागरूकता पैदा करने और पहलों के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य अभियान के साथ अभिसरण • मानसिक स्वास्थ्य पहलों के लिए प्रमुख संस्थानों के साथ समन्वय	• 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक बच्चे को एबी पीएम-जेएवाई कार्ड प्रदान करना। • व्यक्तिगत देखभाल योजना और बाल रोग सेवाओं सहित जेजे नियमों के अनुसार सीसीआई में चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक) की सेवाएं लेना • सीसीआई के सभी बच्चों का टीकाकरण करना • सीसीआई में बच्चों के लिए नियमित रूप से आरकेएसके स्वास्थ्य जांच और परामर्श आयोजित करना

			भौतिक तिमाही रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
6.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सीएसआर दिशानिर्देशों के तहत " बाल कल्याण के लिए निवेश " को शामिल करना	गैर-संस्थागत देखभाल को सुदृढ़ करते हुए सीसीआई में सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देना
7.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	संवेदनशीलता मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहयोग से राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण संचालित करना
8.	गृह मंत्रालय	- हिंसा और दुर्व्यवहार से बच्चों की रोकथाम और संरक्षण - राज्यों में बच्चों की बहाली के लिए सहयोग - लापता बच्चों की ट्रैकिंग के लिए सूचना अभिसरण	- विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण - एमएचए 112 ईआरएसएस के साथ चाइल्डलाइन सेवाओं का समेकन - लापता बच्चों की ट्रैकिंग के लिए बेहतर अभिसरण और समन्वय।
9.	विदेश मंत्रालय	अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बच्चों की बहाली के लिए सहयोग	अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बच्चों के प्रत्यावर्तन और बहाली के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया
10.	न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	- फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करना और - मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करना	तिमाही भौतिक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझा करना।
11.	आयुष मंत्रालय	- बाल देखभाल संस्थानों में या गैर-संस्थागत देखभाल के तहत रहने वाले बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली प्रथाएं विकसित करने के लिए सहयोग - पोषण संपूरकों के लिए बाल देखभाल संस्थानों को आयुष केंद्रों से जोड़ना	- समग्र कल्याण हेतु आयुष केंद्रों को जोड़ने के लिए सीसीआई में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना। - नियमित तिमाही भौतिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

12.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	• एमईआईटीवाई की स्कीमों के माध्यम से बाल देखभाल संस्थानों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना • चाइल्ड पोर्टल विकसित और अनुरक्षण करना।	• डिजिटल साक्षरता के लिए सीसीआई में चलाई जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना • नियमित तिमाही भौतिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
13.	पंचायती राज मंत्रालय	• बाल अधिकारों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए बालोनुकूल पंचायत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को विकसित करना	• बाल पंचायत आयोजित करना। • बाल कल्याण और संरक्षण समितियों की सुविधा के लिए बजट आवंटित करना
14.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	• एनसीएलपी स्कीम के तहत काम से छुड़ाए गए बाल मजदूरों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है।	• शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के साथ विलय की जाने वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुसार बाल श्रम की घटनाओं को कम करने और बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एसओपी विकसित किया जा सकता है।
15.	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), गृह मंत्रालय	• ड्यूटीधारकों का क्षमता निर्माण	• बीपीआरएंडडी द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा और मिशन वात्सल्य पदाधिकारियों को निपसिड के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। • नियमित तिमाही भौतिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
16.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), विधि मंत्रालय	• ड्यूटीधारकों का क्षमता निर्माण	• नालसा/एसएलएसए/डीएलएसए द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा और मिशन वात्सल्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। • नियमित तिमाही भौतिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अभिसरण

क्र.सं.	राज्य	गतिविधि
1	महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	- दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम का कार्यान्वयन - अन्य विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना
2	राज्य पुलिस	बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम और संरक्षण सुनिश्चित करना
3	राज्य वित्त विभाग	बाल बजट तैयार करना

(घ) कारपोरेट संगठनों के साथ अभिसरण

क्र.सं.	एजेंसी	गतिविधि
1	निजी संगठन	- अवसंरचना सहयोग को प्रायोजित करना 18 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना - बाल देखभाल संस्थानों में कैम्पस नियोजन गतिविधियां - उच्चतर शिक्षा को प्रायोजित करना - पश्चात देखभाल गृहों को सहयोग करना
2	सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन	- इंटरशिप के अवसर - उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां

5.2 हितधारकों का क्षमता निर्माण

भारत में किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को सशक्त बनाने के लिए कई हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) सहयोग प्राधिकरण (एनएएलएसए) और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण अकादमियों का सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा, सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और मिशन का सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक संवेदीकरण भी मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

6. अन्य पहलें

देश में बाल कल्याण और बाल संरक्षण के लिए मौजूदा प्रणाली के पूरक के लिए नई पहल की एक श्रृंखला शुरू की गई है। आवश्यक गतिविधियों जैसे संवाद, सीसीआई की ग्रेडिंग, निपसिड में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, बाल सर्वेक्षण, बाल सूचकांक, क्षमता निर्माण अभ्यास आदि के लिए कुल लागत के लगभग 2% का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की एक दृष्टांत सूची निम्न प्रकार है:

- i) **संवाद:** मंत्रालय ने निमहांस के सहयोग से एक परियोजना के तहत संवेदी परिस्थितियों वाले और संकटग्रस्त बच्चों के लिए सहयोग, पैरवी और मानसिक स्वास्थ्य पहल (संवाद) केंद्र की शुरुआत की है। सभी बच्चों, विशेष रूप से संकटग्रस्त बच्चों, का मानसिक स्वास्थ्य एक प्रमुख चिंता का विषय है। न केवल बच्चों, बल्कि उनकी देखभाल करने वालों को भी इन बच्चों के साथ जुड़ाव के दौरान परामर्श सहायता की आवश्यकता होती है। मनो-सामाजिक परामर्श देखभाल में क्षमता निर्माण के लिए देश में शीर्ष चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थानों के साथ जुड़ाव के माध्यम से परामर्श को सुविधाजनक बनाया जाना प्रस्तावित है जो बच्चों और देखभाल करने वालों दोनों के लिए आवश्यक है। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य अन्य उपयुक्त संस्थानों के साथ जुड़कर और संवाद के अनुभव/शिक्षा का लाभ उठाकर और देश के अन्य भागों में इसी तरह के केंद्रों को दोहराते हुए इस पहल का विस्तार करना है।
- ii) **बाल देखभाल केयर संस्थानों का श्रेणीकरण:** राज्य सरकारें प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का निश्चित अंतराल पर श्रेणीकरण करेंगी। अवसंरचना, सेवाओं की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बच्चों के कल्याण, बच्चों की बहाली और पुनर्वास के आधार पर श्रेणीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के परामर्श से मापदंडों और संकेतकों के डिजाइन सहित सीसीआई का श्रेणीकरण किया जाएगा।
- iii) **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में राष्ट्रीय बाल संसाधन केंद्र को सहयोग करना;** निपसिड (मुख्यालय) में राष्ट्रीय बाल संसाधन केंद्र को तकनीकी इनपुट प्रदान करके और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अकादमिक शोध की सुविधा के माध्यम से मिशन की पूर्ति करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। संसाधन केंद्र का उद्देश्य बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली के तहत विभिन्न हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ज्ञान केंद्र निर्मित करना होगा।
- iv) **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सहयोग से राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण करना और बाल सूचकांक तैयार करना:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ अभिसरण में राष्ट्रीय बाल सूचकांक और बाल सर्वेक्षण को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। समय-समय पर बाल सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की जरूरतों की मैपिंग किया जाना आवश्यक है, ताकि नीति, कार्यक्रमों या परियोजनाओं के संदर्भ में उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। बाल सूचकांक की मदद से विभिन्न जिलों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा और लक्षित पहलों को तैयार करने के लिए विशिष्ट जरूरतों/क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा।

- v) **बाल संरक्षण पुरस्कार:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के समर्पण और कठिन परिश्रम को उनके कार्य, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता और सर्वोच्च स्तर के नेतृत्व को सम्मानित करने के लिए बाल संरक्षण पुरस्कार प्रस्तावित किया जाता है। पुरस्कार राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश के आधार पर दिए जाएंगे।
- vi) **अनुसंधान और प्रलेखन:** बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली जमीनी स्तर की स्थिति का विश्लेषण करने और संभावित समाधानों को लागू करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्तर पर आवश्यकता-आधारित अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियां संचालित करेंगे।
- vii) **न्यूजलेटर्स का प्रकाशन:** मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ ही बाल कल्याण और बाल संरक्षण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए द्विवार्षिक न्यूजलेटर प्रकाशित करेगा। इन न्यूजलेटर्स में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ स्कीम के अभिसरण के लिए किए गए प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। इन न्यूजलेटर्स का उद्देश्य बाल अधिकारों, कल्याण और सरकार द्वारा सभी स्तरों पर समुदाय को शामिल करते हुए हर स्तर पर बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना होगा। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पोर्टल पर न्यूजलेटर अपलोड करना होगा।
- viii) **स्वयंसेवकों का नियोजन:** मिशन के तहत संपर्कों को पोषित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, प्रयासों में तालमेल विकसित करने, इंटरनशिप से शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने, कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने और मिशन की सफलता के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए, नागरिक समाज, लोगों के समूहों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को व्यवस्थित और नियोजित तरीके से मिशन वात्सल्य के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसी सरकारी पहल के तहत भारत स्काउट और गाइड, एनएसएस स्वयंसेवकों, नेहरू युवा केंद्रों आदि जैसे संगठनों, या गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं-सहायता समूहों आदि, जो पहले ही समान उद्देश्यों के लिए कार्यरत हैं, को चिन्हित किया जा सकता है।
- ix) **बाल बजटिंग:** मिशन वात्सल्य इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि लोगों के लिए उनकी आयु या लिंग पर विचार किए बिना, बड़ी संख्या में स्कीमें कार्यान्वित लागू की जा रही हैं। तथापि, चूंकि सुविधाएं या सेवाएं एक वयस्क परिप्रेक्ष्य के साथ बनाई गई हैं, वे अक्सर बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी के नल ज्यादातर ऐसी ऊंचाई पर होते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती। परिणामतः, बड़ी संख्या में युवा लाभार्थी अनजाने में सेवाओं से वंचित रहते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं निर्मित या सामान्य सेवाएं प्रदान करते समय बाल संवेदनशील अभिविन्यास होना आवश्यक है। मिशन वात्सल्य के तहत, सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को उनकी स्कीमों के तहत बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से निवेश करने और कार्यक्रमों को तैयार करते समय एक बाल संवेदनशील स्वभाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनुलग्नक

स्कीम का वित्तपोषण पैटर्न

मिशन वात्सल्य केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे केंद्र सरकार से थोक में वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझाकरण के निम्नलिखित अनुपात के साथ स्कीम कार्यान्वित की जाएगी :

विभिन्न घटकों के लिए लागत साझाकरण अनुपात				
क्र.सं.	घटक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश	राज्य अंश
1.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित एससीपीएस, डीसीपीयू, एसएआरए, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय एनजीओ द्वारा संचालित सभी सीसीआई (बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय)	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली और पुद्दुचेरी)	60%	40%
2.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित एससीपीएस, डीसीपीयू, एसएआरए, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय एनजीओ द्वारा संचालित सभी सीसीआई (बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय)	अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड	90%	10%
3.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित एससीपीएस, डीसीपीयू, एसएआरए, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय एनजीओ द्वारा संचालित सभी सीसीआई (बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, एसएए और खुले आश्रय)	विधानसभा विहीन संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख)	100%	

अनुलग्नक - I

केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपीयर मशीन आदि)	50,00,000
2.	यूपीएस के साथ कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित) और प्रिंटर-सह-स्कैनर	
	कुल	50,00,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

ख. सीपीएमयू के तहत स्टाफ		राशि (रुपये में)
1.	संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक	85,20,000
	कुल	85,20,000

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

ग. प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	यात्रा भत्ता	15,00,000
2.	प्रशासनिक व्यय में किराया, टैक्सी और परामर्श कर्मचारी किराए पर लेना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, हिमायत एवं जागरुकता सृजन, क्षेत्रीय परामर्श तथा फुटकर व्यय जिसमें बैठकें, वाहन किराए पर लेना आदि शामिल हैं	1,00,00,000
3.	वेब पोर्टल का प्रबंधन	1,00,00,000
4.	विदेश यात्रा, अध्ययन दौरे और विदेश की सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञानार्जन	50,00,000
	कुल	2,65,00,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		3,50,20,000
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		4,00,20,000

राज्य अनुलग्नक- I I

क. एससीपीएस में ड्यूटी धारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1) कार्यक्रम प्रबंधक

- i. कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण इकाइयों की मदद से राज्य स्तर पर देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
- ii. राज्य या जिला स्तर पर मिशन के तहत तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ संबद्ध प्रणालियों के कर्मचारियों (जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, संबंधित सरकारी विभाग, स्वैच्छिक संगठन और आम जनता शामिल हैं) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता करना, समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना।
- iii. राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इसके क्षेत्रीय केंद्रों तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संपर्क करना।
- iv. बाल अधिकार के मुख्य सिद्धांतों, कानूनी एवं नीतिगत अधिदेश का पालन करते हुए राज्य मीडिया संचार योजना तैयार करने में मदद करना और सुनिश्चित करना कि बाल अधिकार और संरक्षण के मुद्दों से संबंधित आईईसी सामग्री राज्य विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त है, स्थानीय भाषा में है।
- v. कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण इकाइयों की सहायता से राज्य और जिला स्तर पर बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों के प्रति भेदभाव आदि जैसी परंपरागत प्रथाओं और सामाजिक सोच को बदलने के लिए बाल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूकता सृजन की सभी गतिविधियों का समन्वय करना।
- vi. किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक निकायों अर्थात् बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, एसजेपीयू, राज्य सलाहकार बोर्ड आदि के कामकाज को सुगम बनाना और सहायता प्रदान करना।
- vii. राज्य में बच्चों को रखने वाली सभी संस्थाओं/एजेंसियों का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करना।
- viii. देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर निधियां जारी करने में राज्य मिशन निदेशक को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- ix. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य मिशन निदेशक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

2) कार्यक्रम अधिकारी

- i. कार्यक्रम प्रबंधक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करना और वह राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण की सभी गतिविधियों का समन्वय करने में उनकी सहायता करेंगे।
- ii. राज्य और जिला स्तर पर सभी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, आईईसी और हिमायत की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय करने और कार्यान्वित करने में कार्यक्रम प्रबंधक की सहायता करना।

- iii. राज्य और जिला स्तर पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए संपूर्ण जिला प्रशासन के साथ समन्वय करना।
- iv. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) राज्य स्तर पर विधिक मामलों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर सहायता के लिए डीसीपीयू के विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है।

ख. एसएआरए में ड्यूटी धारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1) कार्यक्रम प्रबंधक

- i. दत्तकग्रहण विनियम के अनुसार राज्य स्तर पर दत्तकग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीति और मानक संचालन प्रोटोकॉल का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
- ii. दत्तकग्रहण तथा गैर-संस्थानिक देखरेख से संबंधित तकनीकी सलाह के मामले में जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और एसएए को सहायता प्रदान करना।
- iii. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी के लिए परिकल्पित जिम्मेदारियों के निर्वहन का सुनिश्चय करना।
- iv. राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नीमहंस तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संपर्क करना।
- v. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सांविधिक निकायों अर्थात् बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, एसजेपीयू आदि के कामकाज को सुगम बनाना और सहायता प्रदान करना।
- vi. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए दत्तकग्रहण कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए धन जारी करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- vii. राज्य में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए हिमायत और जागरुकता के लिए आईईसी सामग्री का विकास और प्रसार करना।

2. कार्यक्रम अधिकारी

- i. दत्तकग्रहण विनियम के अनुसार दत्तकग्रहण सुनिश्चित करने और सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करना।
- ii. राज्य में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए दत्तकग्रहण के सभी कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और निगरानी में मदद करना।
- iii. राज्य और जिला स्तर पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के दत्तकग्रहण से संबंधित सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए संपूर्ण जिला प्रशासन के साथ समन्वय करना।
- iv. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

ग. एससीपीएस और एसएआरए के तहत कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया

- i. एससीपीएस और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) में तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की तैनाती के लिए मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
- ii. मिशन वात्सल्य के तहत तैनात की जाने वाली सभी जनशक्ति निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर होगी।
- iii. कर्मचारियों की विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस द्वारा कर्मचारियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन अनिवार्य है।
- iv. एससीपीएस और एसएआरए के तहत तैनात सभी जनशक्ति सभी रिकार्डों की गोपनीयता बनाए रखेगी और ऐसा न होने पर उपयुक्त कार्यवाई की जा सकती है।
- v. निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन की पूर्ण अवधि के लिए इस स्कीम के तहत उपयुक्त और सक्षम कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
- vi. विस्तार के लिए निष्पादन की कसौटियों में अन्य बातों के साथ उनके पर्यवेक्षण के अधीन बच्चों के संबंध में स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण, बहाली और पुनर्वास के पैरामीटर शामिल हो सकते हैं।
- vii. राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर ब्लॉकों की संख्या, केस लोड और अंतःजिला स्थानांतरण के अनुसार संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की मौजूदा जनशक्ति को तर्कसंगत बना सकती है।
- viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से और आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों की मौजूदा जनशक्ति को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- ix. संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर एससीपीएस और एसएआरए के तहत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक में संचयी आधार पर पारिश्रमिक में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू होगा।

घ. मिशन वात्सल्य के तहत एससीपीएस और एसएआरए के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता

क्र. सं.	पद	पात्रता के मापदंड
1.	कार्यक्रम प्रबंधक (एससीपीएस)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री वरीयतः महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 3 साल का अनुभव कम्प्यूटर में प्रवीणता
2.	कार्यक्रम प्रबंधक (एसएआरए)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि/जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री वरीयतः महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 3 साल का अनुभव कम्प्यूटर में प्रवीणता

3.	कार्यक्रम अधिकारी (एससीपीएस)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य/ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वरीयतः महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक कम्प्यूटर में प्रवीणता
4.	सहायक-सह-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (एससीपीएस)	कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास सरकार/एनजीओ - सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव

ड एससीपीएस के लिए वित्तीय सहायता

- i) ऐसे राज्यों के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) के लिए वित्तीय सहायता जहां जिलों की संख्या 5 तक है:

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयरकंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	3,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ चार कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित) और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ ऑफिस	1,50,000
	कुल	4,50,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम प्रबंधक	5,56,080
2.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक लेखाधिकारी	2,78,040
3.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो सहायक-सह-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	3,17,760
	कुल	11,51,880

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	6,00,000
2.	विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण निधि, अनुसंधान एवं प्रलेखन, आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरुकता सृजन जिसमें आईईसी सामग्री का मुद्रण और प्रसार शामिल है	7,00,000
3.	मिशन वाल्सल्य के नियमित कार्यक्रम घटक के तहत असम्मिलित नवाचारी परियोजनाओं और मुद्दों की सहायता, स्थिति के विश्लेषण और जिलों के मानचित्रण, संसाधन के मानचित्रण और संसाधन निर्देशिका की तैयारी आदि के लिए समान्य सहायता अनुदान	15,00,000
	कुल	28,00,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		39,51,880
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		44,01,880

ii) 6 से 20 जिलों वाले राज्यों के लिए एससीपीएस को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयरकंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	5,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	3,15,000
	कुल	8,15,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम प्रबंधक	5,56,080
2.	34,755/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो कार्यक्रम अधिकारी	8,34,120
3.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक लेखाधिकारी	2,78,040
4.	18,536/-रुपये प्रति माह की दर से एक लेखाकार	2,22,432
5.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो सहायक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर	3,17,760
	कुल	22,08,432

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	16,40,000
2.	विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण निधि, अनुसंधान एवं प्रलेखन, आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता सृजन जिसमें आईईसी सामग्री का मुद्रण और प्रसार शामिल है	25,00,000
3.	मिशन वात्सल्य के नियमित कार्यक्रम घटक के तहत असम्मिलित नवाचारी परियोजनाओं और मुद्दों की सहायता, स्थिति के विश्लेषण और जिलों के मानचित्रण, संसाधन के मानचित्रण और संसाधन निर्देशिका की तैयारी आदि के लिए समान्य सहायता अनुदान	30,00,000
	कुल	71,40,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		93,48,432
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		1,01,63,432

iii) 20 से अधिक जिलों वाले राज्यों के लिए एससीपीएस को वित्तीय सहायता :

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	6,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ कम्प्यूटर /लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	5,85,000
	कुल	11,85,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख)	कर्मचारियों को पारिश्रमिक	राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो कार्यक्रम प्रबंधक	11,12,160
2.	34,755/-रुपये प्रतिमाह की दर से चार कार्यक्रम अधिकारी	16,68,240
3.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक लेखाधिकारी	2,78,040
4.	18,536/-रुपये प्रति माह की दर से एक लेखाकार	2,22,432
5.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से चार सहायक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर	6,35,520
6.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक लेखा सहायक	1,58,880
	कुल	40,75,272

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	28,50,000
2.	विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण निधि, अनुसंधान एवं प्रलेखन, आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता सृजन जिसमें आईईसी सामग्री का मुद्रण और प्रसार शामिल है	47,50,000
3.	मिशन वात्सल्य के नियमित कार्यक्रम घटक के तहत असम्मिलित नवाचारी परियोजनाओं और मुद्दों की सहायता, स्थिति के विश्लेषण और जिलों के मानचित्रण, संसाधन के मानचित्रण और संसाधन निर्देशिका की तैयारी आदि के लिए समान्य सहायता अनुदान	50,00,000
	कुल	1,26,00,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		1,66,75,272
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		1,78,60,272

च. एसएआरए के लिए वित्तीय प्रभाव

i) ऐसे राज्यों के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) को वित्तीय सहायता जहां जिलों की संख्या पांच तक है:

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	2,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ 3 कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	1,35,000
	कुल	3,35,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम प्रबंधक	5,56,080
2.	34,755/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम अधिकारी	4,17,060
3.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम सहायक	1,58,880
	कुल	11,32,020

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	2,00,000
2.	विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण निधि, अनुसंधान एवं प्रलेखन, आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता सृजन जिसमें आईईसी सामग्री का मुद्रण और प्रसार शामिल है	1,50,000
	कुल	3,50,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		14,82,020
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		18,17,020

ii) 6 से 20 जिलों वाले राज्यों के लिए एसएआरए को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	2,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ 3 कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	1,35,000
	कुल	3,35,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम प्रबंधक	5,56,080
2.	*34,755/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम अधिकारी	4,17,060
3.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम सहायक	1,58,880
	कुल	11,32,020

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार और आबादी के आधार पर अधिकतम दो तक कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	4,00,000
2.	आईईसी सामग्रियों का मुद्रण और प्रसार सहित आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता सृजन	3,00,000
	कुल	7,00,000

कुल आवर्ती लागत (ख+ग)	18,32,020
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान	21,67,020

iii) 20 से अधिक जिलों वाले राज्यों के लिए एसएआरए को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर सह-स्कैनर मशीन आदि)	2,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ 3 कम्प्यूटर/लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	1,35,000
	कुल	3,35,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	46,340/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम प्रबंधक	5,56,080
2.	*34,755/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम अधिकारी	4,17,060
3.	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कार्यक्रम सहायक	1,58,880
	कुल	11,32,020

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार और आबादी के आधार पर अधिकतम दो तक कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी), एससीपीएस के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, कार्यालय परिसर के लिए किराया, आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाहन, वाचमैन आदि रखना शामिल है	6,00,000
2.	आईईसी और मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता सृजन जिसमें आईईसी सामग्री का मुद्रण और प्रसार शामिल है	5,00,000
	कुल	11,00,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		22,32,020
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		25,67,020

जिला अनुलग्नक-III

क. डीसीपीयू में ड्यूटी धारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1) संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख)

डीसीपीयू के पर्यवेक्षण में संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) जिला और स्थानीय स्तर पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वह देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद सभी बच्चों के लिए जिला स्तर पर संस्थानिक/आवासीय देखरेख सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के सुनिश्चय के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक संरक्षण अधिकारी और अधिकतम 3 संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) होंगे, जो जिले में ब्लॉकों की संख्या, उसके भौगोलिक विस्तार और केस लोड पर आधारित होगा। यदि बाल कल्याण समिति के पास केस लोड अधिक होगा तो राज्य सरकार समिति में एक पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल होंगे :

- i. बच्चों को निराश्रित होने से बचाने के लिए जोखिम ग्रस्त परिवारों और बच्चों की पहचान करना और अपने अधीन आउटरीच कार्यकर्ता की मदद से काउंसलिंग, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल आदि तक पहुंच जैसी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना/प्रदान करना;
- ii. कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करना, सहायता के जरूरतमंद बच्चों की संख्या, संस्थाओं में रह रहे बच्चों की संख्या और उनके लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार के संदर्भ में बाल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं के विभिन्न आयामों पर डेटा एकत्रित और संकलित करना;
- iii. संसाधनों का मानचित्रण करना और एकत्रित डेटा के आधार पर जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण योजना तथा बच्चों से संबंधित सेवाओं संसाधन निर्देशिका विकसित करना;
- iv. जिले में खुले आश्रयों सहित सभी संस्थानिक देखरेख कार्यक्रम की बाल ट्रेकिंग प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन का सुनिश्चय करना;
- v. बच्चों की बहाली और पूछताछ की प्रक्रिया में सीडब्ल्यूसी की मदद करना;
- vi. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों को रखने वाले सभी बाल देखरेख संगठनों/संस्थानों/एजेंसियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना;
- vii. बच्चों को रखने वाले सभी बाल देखरेख संगठनों/संस्थानों/एजेंसियों, सहायता के साथ या बगैर सरकारी और एनजीओ द्वारा संचालित दोनों, का पर्यवेक्षण और निगरानी तथा देखरेख के न्यूनतम मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- viii. जिला स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे अन्य बाल कल्याण एवं संरक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी;
- ix. प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करना और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के समन्वय में जिला स्तर पर संस्थानिक देखरेख में शामिल कार्मिकों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना;
- x. सुनिश्चित करना कि सीसीआई द्वारा सभी बच्चों के दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, स्कूल जाने का प्रमाणपत्र, टीकाकरण प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य जांच कार्ड आदि उपलब्ध कराए जाते हैं;
- xi. सुनिश्चित करना कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सीसीआई के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाता है और समय पर अपडेट किया जाता है तथा

- किशोर न्याय अधिनियम/नियमावली में निर्धारित देखरेख के मानकों के अनुसार नए सीसीआई का पंजीकरण कराना;
- xii. सुनिश्चित करना कि सीसीआई का संचालन करने वाले एनजीओ नीति आयोग द्वारा अनुरक्षित दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) सहित सभी सरकारी निबंधनों का पालन करते हैं;
 - xiii. उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित) का संचालन करने वाले सभी एनजीओ के स्टाफ की पृष्ठभूमि का सत्यापन सुनिश्चित करना;
 - xiv. सीसीआई का मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और डीसीपीयू को प्रस्तुत करना;
 - xv. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीसीपीओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

2) संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख)

डीसीपीओ के पर्यवेक्षण में संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख) मिशन वात्सल्य के प्रायोजकता, धात्री देखरेख, दत्तकग्रहण, देखरेख पश्चात और क्रेडल बेबी स्कीम के गैर-संस्थानिक घटकों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक जिले में ब्लॉकों की संख्या, जिले के भौगोलिक विस्तार और बच्चों की आबादी के आधार पर अधिकतम 3 संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख) होंगे। संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक देखरेख) की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल होंगे :

- i. बच्चों को निराश्रित होने से बचाने के लिए जोखिमग्रस्त परिवारों और बच्चों की पहचान करना और जहां आवश्यकता हो, गैर-संस्थानिक देखरेख के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना/प्रदान करना;
- ii. जिले से दत्तकग्रहण के योग्य बच्चों की पहचान करने में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करना और दत्तकग्रहण के योग्य बच्चों का जिला स्तरीय डेटाबेस तैयार करना;
- iii. निम्नलिखित के माध्यम से एसएए की मदद से जिले में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना और सुगम बनाना :
 - क) अंतःदेशीय दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण के योग्य बच्चों और पीएपी का पंजीकरण करना और उनका डेटाबेस अनुरक्षित करना;
 - ख) जिले में अंतःदेशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना;
 - ग) दत्तकग्रहण नियोजन की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि एसएए नियोजन पश्चात सहायता और अनुवर्तन प्रदान करते हैं।
- iv. सुनिश्चित करना कि सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में दत्तकग्रहण के योग्य सभी बच्चों को दत्तकग्रहण प्रणाली के तहत लाया जाता है;
- v. धात्री देखरेख, प्रायोजकता और देखरेख पश्चात कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थानिक देखरेख संचालित करना;
- vi. संसाधनों का मानचित्रण करना और एकत्रित डेटा के आधार पर जिला स्तर पर गैर-संस्थानिक देखरेख के लिए जिला बाल संरक्षण योजना और बच्चों से संबंधित सेवाओं की संसाधन निर्देशिका तैयार करना;
- vii. जिले में वात्सल्य पोर्टल पर बच्चों के ब्यौरे अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना;
- viii. बच्चों की बहाली और पूछताछ की प्रक्रिया में सीडब्ल्यूसी की मदद करना;
- ix. जिले में एसएए सहित सभी बाल देखरेख संस्थानों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना;
- x. बच्चों को गैर-संस्थानिक सेवा प्रदान करने में शामिल सभी कार्मिकों (सरकारी और गैर-सरकारी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एसएआरए और एससीपीएस के साथ समन्वय करना;

- xi. जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम की स्थिति पर एसएआरए को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
- xii. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीसीपीओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

3) विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी

विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी डीसीपीओ के पर्यवेक्षण में काम करेंगे। वह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे, वह जिला स्तर पर जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को सहायता प्रदान करेंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम एक विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी होंगे और ब्लॉकों की संख्या, जिले के भौगोलिक विस्तार और केस लोड के आधार पर विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी, जहां उपलब्ध हों, विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी के रूप में भी काम कर सकते हैं। यदि किशोर न्याय बोर्ड के पास केस लोड अधिक हो तो राज्य सरकार बोर्ड में एक पूर्णकालिक विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल होंगे :

- i. जिले में किशोर अपराध के आयामों पर डेटा एकत्रित और संकलित करना।
- ii. जेजेबी की कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेना।
- iii. जांच करने में जेजेबी की सहायता करना।
- iv. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्टें तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- v. केस फाइल और अन्य रजिस्टर तैयार करना।
- vi. जेजेबी से सीसीएल को किसी गृह/फिट पर्सन/फिट इंस्टीट्यूशन में ले जाना।
- vii. पर्यवेक्षण के अधीन और रिहाई के बाद रिहा किए गए सीसीएल से अनुवर्ती मुलाकातें करना।
- viii. सीसीएल के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुगम बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करना।
- ix. मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डीसीपीओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी की विधिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए और उन्हें बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए। वह बच्चों/सीसीएल को मुफ्त में विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह आवश्यकता के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी बच्चों से संबंधित कानूनी मामलों में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेंगे।

4) काउंसलर

जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और परिवारों को काउंसलिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक काउंसलर होगा। काउंसलर आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के साथ भी काम करेगा। डीसीपीयू में काउंसलर संस्थानों के काउंसलर का पर्यवेक्षण करने और डीसीपीयू के संपर्क में आने वाले बच्चों और परिवारों को काउंसलिंग सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

5) सामाजिक कार्यकर्ता

प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में दो सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम एक महिला) होंगे, जो डीसीपीओ द्वारा सौंपे गए उपमंडलों के अपने-अपने क्लस्टर में फील्ड स्तरीय गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। फील्ड स्तरीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आउटरीच वर्कर द्वारा इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद की जाएगी।

6) डेटा विश्लेषक

जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके डेटा की व्याख्या करने, परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एक डेटा विश्लेषक होगा। वह डेटा विश्लेषण, डेटा संग्रह की प्रणालियों और अन्य रणनीतियों का विकास करेगा और लागू करेगा जिससे सांख्यिकीय प्रवीणता और गुणवत्ता इष्टतम होगी। डेटा विश्लेषक को प्राथमिक या माध्यमिक डेटा स्रोतों से डेटा प्राप्त करना होगा और डीसीपीयू में जिले का डेटाबेस अनुरक्षित करना होगा। डेटा विश्लेषक को प्रत्येक जिले के लिए डेटा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित करने और मिशन के तहत जिला कार्य योजना तैयार करने के लिए डीसीपीओ के साथ काम करना होगा।

7) सहायक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर

जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में समय-सीमा के भीतर डीसीपीयू के डेटा को प्रविष्ट और अनुरक्षित करने के लिए एक सहायक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर (एडीईओ) होगा। प्रत्येक एडीईओ को कम्प्यूटर में प्रविष्टि के लिए स्रोत डेटा तैयार करने के लिए सूचना के संकलन, सत्यापन, सटीकता और छटाई का सुनिश्चय करना होगा और त्रुटियों या खामियों के लिए डेटा की समीक्षा करनी होगी, किसी विसंगति को दुरुस्त करना होगा और आउटपुट की जांच करनी होगी। एडीईओ को रिपोर्टें तैयार करने के लिए डेटा प्रोग्राम की तकनीकों और प्रक्रियाओं को लागू करना होगा, निर्धारित लोकेशन पर पूरे किए गए कार्य को स्टोर करना होगा और बैकअप संचालन करना होगा, दस्तावेजों को स्कैन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर फाइलों को प्रिंट करना होगा, सूचना को गोपनीय रखना होगा।

8) लेखाकार

जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी और जेजेबी सहित मिशन के तहत सभी संरचनाओं का जिला स्तर पर लेखा तैयार करने के लिए एक लेखाकार होगा।

9) आउटरीच वर्कर

जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में दो आउटरीच वर्कर होंगे, जो संरक्षण अधिकारियों तथा विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। प्रत्येक आउटरीच वर्कर अपने संबंधित अधिकारी की मदद करेगा ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। जिले में ब्लॉकों की संख्या, भौगोलिक विस्तार, आबादी और केस लोड के आधार पर आउटरीच वर्कर की संख्या अधिकतम पांच तक बढ़ाई जा सकती है।

वे समुदाय और जिला बाल संरक्षण इकाई के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे और जोखिमग्रस्त परिवारों और बच्चों तथा अन्य आवश्यक सहायता सेवाओं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आउटरीच वर्कर समुदाय/ब्लॉक के स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा पंचायत/स्थानीय निकाय के सदस्यों के साथ अच्छा नेटवर्क और संबंध विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। उन्हें स्थानीय युवाओं में स्वैच्छिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ब्लॉक और समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रम में उनको शामिल करना चाहिए।

ख. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के तहत कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया :

- i. राज्य के प्रधान सचिव एवं सचिव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित चयन समिति डीसीपीओ के कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति होगी। जिला चयन समिति में जिला स्तर के अधिकारी अर्थात जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस), जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/सदस्य, जेजेबी के सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की नियुक्ति हो जाने पर वह डीसीपीयू के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का भी हिस्सा होंगे।
- ii. राज्य सरकार/जिला प्रशासन यथासंभव वरीयता पर्यवेक्षी पदों पर नियमित कर्मचारियों जैसे कि डीसीपीओ या जिला बाल संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।
- iii. मिशन वात्सल्य के तहत तैनात की जाने वाली सभी जनशक्ति निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर होगी।
- iv. कर्मचारियों की विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस द्वारा कर्मचारियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन अनिवार्य है।
- v. डीसीपीयू के तहत तैनात सभी जनशक्ति सभी रिकार्डों को गोपनीय रखेगी और ऐसा न होने पर उपयुक्त कार्यवाई की जा सकती है।
- vi. वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अधीन वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन की पूर्णावधि के लिए स्कीम के तहत उपयुक्त और सक्षम कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
- vii. विस्तार के लिए निष्पादन की कसौटियों में अन्य बातों के साथ उनके पर्यवेक्षण के अधीन बच्चों के संबंध में स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण, बहाली और पुनर्वास के मानक शामिल हो सकते हैं।
- viii. प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकता के आधार पर ब्लॉकों की संख्या, केस लोड और अंतःजिला स्थानांतरण के अनुसार संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में मौजूदा जनशक्ति को तर्कसंगत बना सकते हैं।
- ix. संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर डीसीपीयू के तहत काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक में संचयी आधार पर 3% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू होगा।
- x. स्कीम में राज्य और जिला स्तर पर संविदा पर कर्मचारियों को रखने का प्रावधान है। तथापि, राज्य स्थायी आधार पर या इस स्कीम में उपलब्ध वेतनमान से अधिक वेतनमान पर कर्मचारी तैनात कर सकते हैं जिसके लिए राज्यों को इस संबंध में अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

ग. मिशन वात्सल्य के तहत डीसीपीयू के कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता :

क्र. सं.	पद	पात्रता के मापदंड
1.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीयू)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि/जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री वरीयत: महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी/गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव कम्प्यूटर में प्रवीणता
2.	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि /जन स्वास्थ्य/ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वरीयत: महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक कम्प्यूटर में प्रवीणता
3.	संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखरेख)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि/ न स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वरीयत: महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास/ मानवाधिकार / लोक प्रशासन/मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा/ विधि/ जन स्वास्थ्य/ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक कम्प्यूटर में प्रवीणता
4.	विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी (एलसीपीओ)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी वरीयत: महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ/ विधिक मामलों के साथ काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ

5.	काउंसलर	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / जन स्वास्थ्य / काउंसलिंग में स्नातक काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा वरीयतः महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव कंप्यूटर में प्रवीणता
6.	सामाजिक कार्यकर्ता	स्नातक वरीयतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान में बीए ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा कंप्यूटर में प्रवीणता
7.	लेखाकार	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/गणित में स्नातक की डिग्री वांछित क्षेत्र में काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव कंप्यूटर कौशल और टैली पर कमांड
8.	डेटा विश्लेषक	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र / कंप्यूटर में स्नातक ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा कंप्यूटर में प्रवीणता
9.	सहायक सह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (डीसीपीयू)	कंप्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा
10.	आउटरीच वर्कर (ओआरडब्ल्यू)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास अच्छा संचार कौशल ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा

घ. डीसीपीयू के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, चेयर, कम्प्यूटर टेबल, एयर कंडीशनर, कप बोर्ड, फोटोकॉपियर-सह-स्कैनर मशीन आदि)	3,00,000
2.	यूपीएस और वेब कैम के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ 5 कम्प्यूटर/ लैपटॉप (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	2,25,000
	कुल	5,25,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

ख. कर्मचारियों को पारिश्रमिक	राशि (रुपये में)
1. 44,023/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)	5,28,276
2. 27,804/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख)	3,33,648
3. 27,804/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखरेख)	3,33,648
4. 27,804/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	3,33,648
5. 18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक काउंसलर	2,22,432
6. **18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो सामाजिक कार्यकर्ता	4,44,864
7. 18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक लेखाकार	2,22,432
8. 18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक डेटा विश्लेषक	2,22,432
9. 13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर	1,58,880
10. *10,592/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो आउटरीच वर्कर	2,54,208
कुल	30,54,468

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

*जिले की आबादी और भौगोलिक विस्तार के आधार पर आउटरीच वर्कर की संख्या अधिकतम पांच तक बढ़ाई जा सकती है।

**आबादी के आधार पर और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या अधिकतम तीन तक बढ़ाई जा सकती है।

राज्य जिलों में केस लोड/ब्लॉकों की संख्या के अनुसार प्रति डीसीपीयू जनशक्ति के वितरण को तर्कसंगत बना सकते हैं।

ग. प्रशासनिक व्यय	राशि (रुपये में)
1. प्रशासनिक व्यय (पानी, बिजली, डाक शुल्क, लेखन सामग्री, एसटीडी के साथ टेलीफोन, फोटोकॉपी, डीसीपीयू के स्टाफ के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता, जिला स्तर पर स्थान किराए पर लेने के लिए किराया (यदि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है), आकस्मिक निधि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, किराए पर वाचमैन रखना, गृहों में व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल है)	15,00,000
2. बच्चों के प्रत्यर्पण के लिए निधि (वास्तविक व्यय के अधीन)	4,00,000

3.	हिमायत और जागरुकता – शिविरों का आयोजन, सामुदायिक जागरुकता के लिए भोजन, पुलिस, पीआरआई सदस्य आदि जैसे सभी हितधारकों का संवेदीकरण और क्षमता निर्माण	5,00,000
	कुल	24,00,000
	कुल आवर्ती लागत (ख+ग)	54,54,468
	कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान	59,79,468

ड मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के लिए कर्मचारियों की सांकेतिक योग्यता

क्र.सं.	पद	पात्रता के मापदंड
1.	सहायक सह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा

किशोर न्याय बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर	50,000
2.	वेब कैम और यूपीएस के साथ एक कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित) और एक प्रिंटर-सह-स्कैनर	45,000
3.	बालोनुकूल परिवेश का सृजन और अनुरक्षण जिसमें कमरों की पेंटिंग, इनडोर गेम्स आदि शामिल हैं	7,500
	कुल	1,02,500

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को मानदेय/पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	दो सदस्यों के लिए 20 बैठकों के लिए यात्रा/बैठक भत्ता (2000/-रुपये x प्रतिमाह 20 बैठकें x 12 माह x 2 सदस्य)	9,60,000
2.	11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक सहायक-सह-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर*	1,42,992
	कुल	11,02,992

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

ग. प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	प्रशासनिक व्यय - किराए पर बाल गृह का भवन लेने के लिए किराया और 15,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से आकस्मिक व्यय (पानी, बिजली, टेलीफोन, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी, डाक शुल्क, स्थानीय यात्रा आदि)	1,80,000
2.	7,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से बच्चों से संबंधित खर्च जिसमें बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत की प्रक्रिया के दौरान दवाएं, परिवहन, भोजन आदि शामिल हैं	84,000
	कुल	2,64,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		13,66,992
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		14,69,492

जेजेबी के लिए निर्माण अनुदान

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
1.	*आवश्यकता के अनुसार 1543/-रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 300 वर्ग फीट के दो कमरों का निर्माण (1543/-रुपये x 600 वर्ग फीट)	9,25,800

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें

च. बाल कल्याण समिति के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	फर्नीचर	50,000
2.	वेब कैम और यूपीएस के साथ एक कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित) और एक प्रिंटर-सह-स्कैनर	45,000
3.	बालोनुकूल परिवेश का सृजन और अनुरक्षण जिसमें कमरों की पेंटिंग, इनडोर गेम्स आदि शामिल हैं	7,500
	कुल	1,02,500

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) मानदेय/पारिश्रमिक	राशि (रुपये में)
1. अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के लिए 20 बैठकों के लिए यात्रा/बैठक भत्ता (2000/- रुपये x प्रतिमाह 20 बैठकें x 12 माह x 5 अध्यक्ष और सदस्य)	24,00,000
2. 11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक सहायक-सह-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर*	1,42,992
कुल	25,42,992

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

ग. प्रशासनिक व्यय	राशि (रुपये में)
1. प्रशासनिक व्यय - किराए पर बाल गृह का भवन लेने के लिए किराया और 15,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से आकस्मिक व्यय (पानी, बिजली, टेलीफोन, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी, डाक शुल्क, स्थानीय यात्रा आदि)	1,80,000
2. 7,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से बच्चों से संबंधित खर्च जिसमें बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत की प्रक्रिया के दौरान दवाएं, परिवहन, भोजन आदि शामिल है	84,000
कुल	2,64,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)	28,06,992
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान	29,09,492

सीडब्ल्यूसी के लिए निर्माण अनुदान

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
1.	*आवश्यकता के अनुसार 1543/-रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 300 वर्ग फीट के दो कमरों का निर्माण (1543/-रुपये x 600 वर्ग फीट)	9,25,800

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें

अनुलग्नक-IV

क. मिशन वात्सल्य के तहत बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के लिए मानव संसाधन की सांकेतिक योग्यता

क्र.सं.	पद	पात्रता के मापदंड
1.	प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य/ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री वरीयत: महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी/गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव कम्प्यूटर में प्रवीणता
2.	काउंसलर	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / जन स्वास्थ्य / काउंसलिंग में स्नातक अथवा काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा वरीयत: महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव कंप्यूटर में प्रवीणता
3.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर	स्नातक वरीयत: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान में बीए या एलएलबी वरीयत: महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ/ विधिक मामलों के साथ काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास कार्य अनुभव होगा कम्प्यूटर में प्रवीणता

ख. बाल देखरेख संस्थाओं को वित्तीय सहायता

i) 50 बच्चों को रखने की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्थाओं को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	संरचनात्मक परिवर्तन, आवास सुविधाओं का उन्नयन एवं रखरखाव (वास्तविक खर्च के अधीन)	10,00,000
2.	सुविधाओं का उन्नयन जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, पुस्तकों और फर्नीचर, रसोई के उपकरणों की खरीद/अनुरक्षण	10,00,000
	कुल	20,00,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	33,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक)	3,97,200
2.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक काउंसलर	2,78,040
3.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/ केस वर्कर	2,78,040
4.	14,564/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो हाउस मदर या हाउस फादर	3,49,536
5.	11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक पैरामेडिकल स्टाफ	1,42,992
6.	18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक स्टोर कीपर सह लेखाकार	2,22,432
7.	10,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक एजुकेटर	1,20,000
8.	10,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कला एवं शिल्प सह संगीत शिक्षक	1,20,000
9.	10,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग ट्रेनर	1,20,000
10.	9,930/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो कुक	2,38,320
11.	7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से कन्या सीसीआई में दो हेल्पर सह नाइट वाचमैन वरीयतः महिलाएं	1,90,656
12.	7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक हाउस कीपर	95,328
	कुल	25,52,544

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	3,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण (भोजन, वस्त्र, दवा, साबुन, तेल आदि और पूरक शिक्षा आदि के लिए)	18,00,000
2.	1,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से मैट्रेस, बेड शीट, पिलो, कंबल, दरी/मैट आदि सहित बेडिंग	50,000
3.	प्रशासनिक व्यय – पानी, बिजली, परिवहन (व्यावसायिक प्रशिक्षण/स्कूल, फील्ड विजिट, सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ)	10,00,000

	बच्चों के लिए, विशेष जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए), बाल गृह के संचालन हेतु किराए पर भवन लेने के लिए किराया, आउटिंग, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए विविध, इंटरनेट कनेक्शन और डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि सहित आकस्मिक व्यय	
	कुल	28,50,000
कुल आवर्ती लागत (ख+ग)		54,02,544
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		74,02,544

नोट:

- क) स्कीम के तहत सहायता प्राप्त सरकारी/एनजीओ द्वारा संचालित संस्थाओं में, पारिश्रमिक के उपरोक्त मानदंड लागू होंगे। सरकार/एनजीओ अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त पारिश्रमिक शामिल कर सकते हैं।
- ख) आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक निधियों से डाइवर को हायर किया जा सकता है।
- ग) जरूरत पड़ने पर आकस्मिक निधि से होमगार्ड से अतिरिक्त गार्ड/सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा सकते हैं।
- घ) काउंसलर, बाल कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, हाउस फादर या हाउस मदर की श्रेणी में पदों की संख्या को गृह की वास्तविक या स्वीकृत क्षमता में वृद्धि/कमी के अनुपात में पढ़ाया/घटाया जाएगा।
- ङ) कन्या गृह के लिए कर्मचारियों का चयन करते समय विशेषरूप से नेतृत्व और निर्णय लेने के स्तरों के साथ-साथ बेटियों से बातचीत करने वाले कार्मिकों की नियुक्ति करने में महिला कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
- च) विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष इकाई के लिए वित्तीय सहायता इन दिशानिर्देशों में ऊपर वर्णित मानदंडों के अनुसार लागू होगी।

ii) विशेष जरूरत वाले 10 बच्चों की विशेष इकाई के साथ 50 बच्चों वाले सीसीआई को वित्तीय सहायता :

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)		
1.	10,000/-रुपये प्रति बच्चा की दर से 10 बच्चों के लिए विशेष उपकरण और सामग्री जैसे कि मनोवैज्ञानिक जांच सामग्री, बोलने और भाषा के लिए प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री, व्हील चेयर, क्रैच आदि	1,00,000
2.	पोषक आहार पर व्यय की भरपाई के लिए 400/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से 10 बच्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान	48,000
3.	4,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से एंटीरिट्रोवॉयरल थैरेपी (एआरटी) ¹ और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं, डी-टॉक्सीकेशन तथा उपचार ² के लिए 10 बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता (वास्तविक व्यय के अनुसार) ³	4,80,000
4.	कर्मचारियों को पारिश्रमिक	
	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक विशेष एजुकेटर/थिरेपिस्ट	2,78,040
	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक नर्स (महिला)	1,58,880
	9930/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक केयरटेकर-सह-व्यावसायिक अनुदेशक	1,19,160
	कुल	11,84,080

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

- ¹ सबसे पहले संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी से एंटीरिट्रोवॉयरल थिरेपी (एआरटी) प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे, उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रमांक 3 के तहत निधियों का उपयोग किया जा सकता है।
- ² राज्य द्वारा पदार्थ दुरुपयोग के शिकार बच्चों के डी-टॉक्सीकेशन और उपचार के लिए संचालित केंद्रों में बच्चों को भेजने के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यदि यह उपलब्ध न हो तो क्रमांक 3 के तहत निधियों का उपयोग किया जा सकता है।
- ³ गृह में विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार क्रमांक 1 और 3 की निधियों का उपयोग करने के लिए डीसीपीओ को लोच प्रदान की गई है।

iii) 25 बच्चों को रखने की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	संरचनात्मक परिवर्तन, आवास सुविधाओं का उन्नयन एवं रखरखाव (वास्तविक खर्च के अधीन)	6,00,000
2.	सुविधाओं का उन्नयन जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, पुस्तकों और फर्नीचर, रसोई के उपकरणों आदि की खरीद/अनुरक्षण	6,00,000
	कुल	12,00,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	33,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक)	3,97,200
2.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक काउंसलर	2,78,040
3.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/ केस वर्कर	2,78,040
4.	14,564/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक हाउस मदर या हाउस फादर	1,74,768
5.	11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक पैरामेडिकल स्टाफ	1,42,992
6.	18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक स्टोर कीपर सह लेखाकार	2,22,432
7.	10,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक पीटी अनुदेशक	1,20,000
8.	9,930/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक कुक	1,19,160
9.	7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से कन्या सीसीआई में 1हेल्पर सह नाइट वाचमैन	95,328
10.	7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक हाउस कीपर	95,328
	कुल	19,23,288

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	3,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण (भोजन, वस्त्र, दवा, साबुन, तेल आदि और पूरक शिक्षा आदि के लिए)	9,00,000
2.	1,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से मैट्रेस, बेड शीट, पिलो, कंबल, दरी/मैट आदि सहित बेडिंग	25,000
3.	प्रशासनिक व्यय – पानी, बिजली, परिवहन (व्यावसायिक प्रशिक्षण/स्कूल, फील्ड विजिट, सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ बच्चों के लिए, विशेष जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए), बाल	6,00,000

	गृह के संचालन हेतु किराए पर भवन लेने के लिए किराया, आउटिंग, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों/पत्रिकाओं, खेल उपकरणों आदि के लिए विविध, इंटरनेट कनेक्शन और डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि सहित आकस्मिक व्यय (वास्तविक खर्च के अधीन)	
	कुल	15,25,000
	कुल आवर्ती लागत (ख+ग)	34,48,288
	कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान	46,48,288

नोट:

- क) स्कीम के तहत सहायता प्राप्त सरकारी/एनजीओ द्वारा संचालित संस्थाओं में, पारिश्रमिक के उपरोक्त मानदंड लागू होंगे। सरकार/एनजीओ अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त पारिश्रमिक शामिल कर सकते हैं।
- ख) आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक निधियों से ड्राइवर को हायर किया जा सकता है।
- ग) जरूरत पड़ने पर आकस्मिक निधि से होमगार्ड से अतिरिक्त गार्ड/सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा सकते हैं।
- घ) काउंसलर, बाल कल्याण अधिकारी, परीक्षा अधिकारी, हाउस फादर या हाउस मदर की श्रेणी में पदों की संख्या को गृह की वास्तविक या स्वीकृत क्षमता में वृद्धि/कमी के अनुपात में बढ़ाया/घटाया जाएगा।
- ङ) कन्या गृह के लिए कर्मचारियों का चयन करते समय विशेषरूप से नेतृत्व और निर्णय लेने के स्तरों के साथ-साथ बेटियों से बातचीत करने वाले कार्मिकों की नियुक्ति करने में महिला कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
- च) विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष इकाई के लिए वित्तीय सहायता इन दिशानिर्देशों में ऊपर वर्णित मानदंडों के अनुसार लागू होगी।

iv) विशेष जरूरत वाले 05 बच्चों की विशेष इकाई के साथ 25 बच्चों वाले सीसीआई को वित्तीय सहायता:

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)		
1.	10,000/-रुपये प्रति बच्चा की दर से 5 बच्चों के लिए विशेष उपकरण और सामग्री जैसे कि मनोवैज्ञानिक जांच सामग्री, बोलने और भाषा के लिए प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री, व्हील चेयर, क्रैच आदि	50,000
2.	पोषक आहार पर व्यय की भरपाई के लिए 400/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से 5 बच्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान	24,000
3.	4,000/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से एंटीरिट्रोवॉयरल थिरेपी (एआरटी) ¹ और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं, डी-टॉक्सीकेशन तथा उपचार ² के लिए 5 बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता (वास्तविक व्यय के अनुसार) ³	2,40,000
4.	कर्मचारियों को पारिश्रमिक	
	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक विशेष एजुकेटर/थिरेपिस्ट	2,78,040
	13,240/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक नर्स(महिला)	1,58,880
	9930/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक केयरटेकर-सह-व्यावसायिक अनुदेशक	1,19,160
	कुल	8,70,080

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

- ¹ सबसे पहले संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी से एंटीरिट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे, उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रमांक 3 के तहत निधियों का उपयोग किया जा सकता है।
- ² राज्य द्वारा पदार्थ दुरुपयोग के शिकार बच्चों के डी-टॉक्सीकेशन और उपचार के लिए संचालित केंद्रों में बच्चों को भेजने के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यदि यह उपलब्ध न हो तो क्रमांक 3 के तहत निधियों का उपयोग किया जा सकता है।
- ³ गृह में विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार क्रमांक 1 और 3 की निधियों का उपयोग करने के लिए डीसीपीओ को लोच प्रदान की गई है।

ग. एसएए (10 बच्चों की इकाई) को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	यूपीएस और वेब कैम के साथ एक कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित) और एक प्रिंटर-सह-स्कैनर	45,000
2.	10 क्रेडल सहित फर्नीचर	1,50,000
3.	किचन के लिए उपकरण (कनेक्शन के साथ गैस स्टोव, बर्तन, वाटर फिल्टर आदि)	50,000
	कुल	2,45,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक प्रबंधक/समन्वयक	2,78,040
2.	18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक सोशल वर्कर-सह-अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर	2,22,432
3.	11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक नर्स	1,42,992
4.	9,930/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक डॉक्टर (अंशकालिक)	1,19,160
5.	7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से 6 आशा	5,71,968
6.	7944/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक चौकीदार	95,328
	कुल	14,29,920

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	भोजन, मिल्क पाउडर, फीडिंग बोतल, वस्त्र, दवा, साबुन, तेल, खेल सामग्री आदि पर व्यय की भरपाई के लिए 2500/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से 10 बच्चों के लिए अनुरक्षण अनुदान	3,00,000
2.	प्रशासनिक व्यय - किराए पर भवन लेने के लिए किराया और आकस्मिक व्यय (पानी, बिजली, टेलीफोन, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी, डाक शुल्क आदि)	2,25,000
3.	दत्तकग्रहण के मामले में तैनात वकील को कानूनी खर्चों का भुगतान, यदि दत्तक भारतीय माता-पिता भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं	
	कुल	5,25,000
कुल आवर्ती लागत(ख+ग)		19,54,920
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		21,99,920

नोट: अंतरिम अवधि में अनावर्ती घटक के लिए किसी अनुरोध का प्रावधान किया जा सकता है, यदि परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित है।

घ. खुले आश्रय (25 बच्चों की इकाई) के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
(क) अनावर्ती व्यय (5 साल में एक बार)		
1.	बच्चों के लिए मैट्रेस, 25 स्टील लॉकर, कपबोर्ड, टेबल और चेयर आदि सहित फर्नीचर	1,50,000
2.	यूपीएस के साथ और प्रिंटर-सह-स्कैनर के साथ दो कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत सहित)	85,000
3.	एक रंगीन टेलीविज़न	2,00,000
4.	बर्तन, गैस स्टोव, वॉटर फिल्टर आदि के साथ-साथ खेल, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, किचन के लिए उपकरण	
	कुल	4,35,000

आवर्ती व्यय (प्रति वर्ष)

(ख) कर्मचारियों को पारिश्रमिक		राशि (रुपये में)
1.	23,170/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक परियोजना समन्वयक-सह-काउंसलर	2,78,040
2.	18,536/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक सोशल वर्कर	2,22,432
3.	11,916/-रुपये प्रतिमाह की दर से दो केयर गिवर-सह-ब्रिज कोर्स एजुकेटर	2,85,984
4.	*10,592/-रुपये प्रतिमाह की दर से 3 आउटरीच वर्कर	3,81,312
5.	सफाई और कुकिंग के लिए 7,944/-रुपये प्रतिमाह की दर से एक हेल्पर	95,328
	कुल	12,63,096

*वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर 3% की दर से पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (संचयी आधार पर)

*जिले की आबादी और भौगोलिक विस्तार के आधार पर आउटरीच वर्कर की संख्या अधिकतम 5 तक बढ़ाई जा सकती है।

(ग) प्रशासनिक व्यय		राशि (रुपये में)
1.	2500/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से 25 बच्चों के लिए अनुरक्षण (भोजन, वस्त्र, दवा, साबुन, तेल, पूरक शिक्षा आदि के लिए)	7,50,000
2.	प्रशासनिक व्यय (बिजली, पानी, परिवहन, किराए पर भवन लेने के लिए किराया जिसमें तीन संपर्क बिंदु शामिल हैं, विविध (आउटिंग के लिए, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के लिए, खेल सामग्री, शिक्षा/खेल के उपकरणों आदि के लिए) और आकस्मिक व्यय (डाक शुल्क, लेखन सामग्री, टेलीफोन, फोटोकॉपी आदि)	5,00,000
	कुल	12,50,000
कुल आवर्ती लागत(ख+ग)		25,13,096
कुल योग (क+ख+ग) अनावर्ती+आवर्ती अनुदान		29,48,096

*भौगोलिक क्षेत्र तथा कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर आउटरीच वर्कर और संपर्क बिंदुओं की संख्या अधिकतम पांच तक बढ़ाई जा सकती है।

ड सीसीआई के लिए अवसंरचनात्मक वित्तीय सहायता

i) 50 बच्चों की एक नई इकाई के लिए निर्माण अनुदान

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
1.	1543/-रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 8745 वर्ग फीट के निर्माण की लागत*	1,34,93,500

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें

50 बच्चों की इकाई के लिए वात्सल्य सदन के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	गृह/सीडब्ल्यूसी/जेजेबी का प्रकार	गृह/सीडब्ल्यूसी/जेजेबी का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)*	निर्माण लागत (रुपये में)
1.	बाल गृह	8745 वर्ग फीट	1,34,93,500
2.	संप्रेक्षण गृह	8745 वर्ग फीट	1,34,93,500
3.	विशेष गृह	8745 वर्ग फीट	1,34,93,500
4.	प्लेस ऑफ सेफ्टी	8745 वर्ग फीट	1,34,93,500
5.	सीडब्ल्यूसी	600 वर्ग फीट	9,25,800
6.	जेजेबी	600 वर्ग फीट	9,25,800
	कुल	36180 वर्ग फीट	5,58,25,600

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें

ii) 25 बच्चों की एक नई यूनिट के लिए निर्माण अनुदान

क्र.सं.	व्यय की मद	राशि (रुपये में)
1.	1543/-रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से 5000 वर्ग फीट के निर्माण की लागत*	77,15,000

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें

iii) 25 बच्चों की इकाई के लिए वात्सल्य सदन के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	गृह/सीडब्ल्यूसी/जेजेबी का प्रकार	गृह/सीडब्ल्यूसी/जेजेबी का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)*	निर्माण लागत (रुपये में)
1.	बाल गृह	5000 वर्ग फीट	77,15,000
2.	संप्रेक्षण गृह	5000 वर्ग फीट	77,15,000
3.	विशेष गृह	5000 वर्ग फीट	77,15,000
4.	प्लेस ऑफ सेफ्टी	5000 वर्ग फीट	77,15,000
5.	सीडब्ल्यूसी	600 वर्ग फीट	9,25,800
6.	जेजेबी	600 वर्ग फीट	9,25,800
	कुल	21200 वर्ग फीट	3,27,11,600

*सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची 2019 के अनुसार प्राक्कलन की करें
